

नमस्ते जी

ऋषि दयानंद द्वारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से भर दिया | जो वेद उस काल में विचारो से भी भुला दिए गए थे | ऋषि दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की और लौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो॰ राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित लेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है | इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रूपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्मिलत है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रूचि बढ़े और वे तुलनात्मक अध्यन कर सकें जिससे उनकी स्वधर्म में रूचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियो द्वारा लगाये जा रहे विभिन्न आक्षेपों का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छल, कपट इत्यादि से बचाना |

इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट www.aryamantavya.in और www.vedickranti.in पर आप संस्था द्वारा स्थापित संकल्पों सम्बन्धी लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है |

जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें

ptlekhram@gmail.com

धन्यवाद् !

पंडित लेखराम वैदिक मिशन

आर्य मंतव्य टीम

AryaMantavya
Make The Whole World Noble

अथ तृतीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(समावर्त्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विषय)

[समावर्त्तन ३ । १—३ तक]

ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन काल—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ (१)

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रैवेदिकं व्रतम्) ज्ञान कर्म, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों के अध्ययन सम्बन्धी ब्रह्मचर्य व्रत का (षट्त्रिंशद्+आब्दिकम्) छत्तीस वर्ष पर्यन्त (तत्+अर्धिकम्) उस से आधे अर्थात् अठारह वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (पादिकम्) उन छत्तीस के चौथे भाग अर्थात् नौ वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (ग्रहण+अन्तिकम्+एव) जब तक विद्या पूरी न हो जाये तब तक (चर्यम्) पालन करना चाहिए ॥ १ ॥

"आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिलके छत्तीस और आठ मिलके चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिलके छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रक्खे।" (स० प्र० ४४)

समावर्तन कब करे—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् ।
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥ (२)

(वेदान् वेदौ वा वेदं यथाक्रमम्+अधीत्य) ब्रह्मचर्य से चार, तीन, दो अथवा एक वेद को यथावत् पढ़ (अविप्लुतब्रह्मचर्यः) अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके (गृहस्थाश्रमम्+आवसेत्) गृहाश्रम को धारण करे ॥ २ ॥ (सं० वि० ९८)

"जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्तकर धर्म से चारों, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे।" (स० प्र० ७८)

अनुशीलन : (१) **समावर्तन से अभिप्राय**—गुरु के समीप रहकर, ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाङ्गशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से घर वापिस लौटने का नाम 'समावर्तन' है। यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उद्देश्य से किया जाता है। 'सम्' और 'आ' उपसर्गपूर्वक 'वृत्–वर्त्तने' (भ्वादि) धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से समावर्तन शब्द निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है—'वापिस लौटना'। यह एक संस्कार है, जिसको 'स्नान' भी कहा जाता है। इसीकारण समावर्तन करने वाले को 'स्नातक' कहा जाता है। स्नातक तीन प्रकार के होते हैं—**"त्रय एव स्नातका भवन्ति। विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति।"**

पार० गृह्यसूत्र २।५।३२॥

अर्थात्–स्नातक (=गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं—१. विद्यास्नातक=जो विद्या को समाप्त करके किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत को पूर्ण न करके समावर्तन करते हैं, २. व्रतस्नातक=जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्याव्रतस्नातक= जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं।

(२) **समावर्तन का काल और उसके आवश्यक नियम**—उपर्युक्त ३। १–२ श्लोकों में मनु ने समावर्तन के काल और उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार समावर्तन के लिए प्रमुख दो नियम हैं—

१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के अध्ययन-काल में ३६, १८ और ९ वर्षों की तीन अवधि निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम नौ वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना अनिवार्य है [३।१]।

२. इसके साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि द्विज कम से कम एक वेद का साङ्गोपांग अध्ययन अवश्य करे। उससे अधिक दो, तीन, चार वेदों का अध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]।

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गृहाश्रम को धारण करने का विधान है, अन्यथा नहीं।

इन तथा मनु के अन्य वचनों के अनुसार समावर्तन का काल कम से कम २५ वर्ष के अनन्तर निर्धारित होता है। इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) उपनयन संस्कार में [२।११-१३(२।३६-३८)] मनु ने उपनयन काल में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैं। सामान्य अवस्था में सबसे कम आयु ८ वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है। ९ वर्ष कम से कम एक वेद के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन का

काल है। वेद के अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य वेदाङ्गों [=शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष (छह)] का गम्भीर ज्ञान भी आवश्यक है [२।११५(२।१४०)]।

इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन-उपनिषदों तक ७–८ वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार ८+८+९=२५ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण शिक्षाकाल बनता है।

(ख) मनु ने २५ वर्ष तक गुरुकुल–निवास का विधान किया है उसके पश्चात् गृहस्थ में जाने का कथन है—**"चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥"** [४।१] यह आयु का पहला भाग २५ वर्ष तक का समय है। तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे। पुनः समावर्तन कर गृहस्थ बने। [इस विषय में विस्तृत विवेचन ३।४ की समीक्षा में पढ़िये]।

इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक अध्ययन काल अवश्य होता है। उसके पश्चात् ही समावर्तन करना मनुसम्मत है।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः।
स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥ (३)

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्) जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितुः ब्रह्मदायहरम्) पिता=जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्रग्विणम्) और माला का धारण करने वाले (तल्प आसीनम्) अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को (प्रथमं गवा अर्हयेत्) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ ३ ॥
(स० प्र० ७८)

अनुशीलन : 'स्रग्वी' शब्द 'गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। देखिए २।१४२ पर विस्तृत विवेचन।

(विवाह-विषय)
[३।४ से ३।४२ तक]

गुरु की आज्ञा से विवाह—

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि।
उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥ (४)

(यथाविधि समावृत्तः) यथावत् उत्तम रीतिसे ब्रह्मचर्य और विद्या

को ग्रहण कर (गुरुणा+अनुमतः स्नात्वा) गुरु की आज्ञा से स्नान करके (द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (सवर्णाम्) अपने वर्ण की (लक्षणान्वि-ताम्) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्) स्त्री से (उद्वहेत) विवाह करे ॥ ४ ॥
(सं० वि० ६६)

"गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे।"
(स० प्र० ७८)

अनुशीलन : (१) **विवाह से अभिप्राय**—'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह्-प्रापणे, धातु से 'घञ्' प्रत्यय के योग से विवाह और 'उद्' उपसर्ग से इसका पर्याय-वाची 'उद्वाह' शब्द बनता है। जिनका अर्थ है—'विशेष विधि पूर्वक एक-दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना।' यह एक शास्त्रसम्मत सामाजिक विधान है। इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पारस्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस प्रकार रहकर सन्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि करते हैं।

इसको मनुस्मृति में 'पाणिग्रहण' संस्कार भी कहा गया है। इसका भी यही अभिप्राय है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना अर्थात् सहारा देना।

(२) **मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु**—अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहां विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है। इसी आधार पर वेदों में सौ और सौ वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—'**तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्** ॥" [यजु० ३६। २४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को निम्न चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारित की है—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः ।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ ४। १ ॥ ५। १६६।

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत् ॥ ६। ३३ ॥

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं। आयु के

प्रथमभाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीयभाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे उसके पश्चात् चतुर्थ भाग में संन्यासी बन जाये।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए।

(ख) **स्त्री के विवाह की आयु**-इसका संकेत मनु ने ९।९० श्लोक में दिया है—
"त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युतुमती सती। ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्।"

अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है। तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है। अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे, इससे अधिक आयु में इतने ही अनुपात से विवाह होना चाहिए। क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है।

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे—गृहकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५। १५०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९। ११, २६-२८, ९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्पायु के नहीं अपितु समझदार युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है।

(३) **आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु**—इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की है—

"चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनम्, संपूर्णता, किंचित् परिहाणिः चेति। आषोडशात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतेः यौवनम्, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किञ्चित् परिहाणिः चेति।" [सुश्रुत सूत्रस्थान ३५। २५॥]=शरीर की चार अवस्थाएं हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि=बढोतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है और चालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है। उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ क्षीणता आने लगती है।

यह युवावस्था ही विवाह की [illegible] होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुओं

में अपरिपक्वता होती है। बालविवाह से, जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती हैं; जैसे—गर्भ का न रहना, गर्भस्राव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि। इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पूर्व पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ सुश्रुत सूत्र० ३५। १० ॥

ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते॥

जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ सुश्रुत शा० १०।४७-४८ ॥

(४) **वेद में विवाह की आयु**—वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है—

"**ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्** ॥" अथर्ववेद ११। ५। ५ ॥

अर्थात्—"जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे।" (सं० वि० वेदारम्भप्रकरण)

विवाह-योग्य कन्या—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः।
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥ (५)

(या मातुः असपिण्डा) जो स्त्री माता की छह पीढ़ी (च) और (पितुः असगोत्रा) पिता के गोत्र को न हो (सा) वही (द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (दारकर्मणि) विवाह करने में ❀ (प्रशस्ता) उत्तम है ॥ ५ ॥

(सं० वि० ६६)

❀ (मैथुने) मैथुन के लिए

"जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है" (सं० प्र० ७६)

विवाह में त्याज्य कुल—

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।
स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ (६)

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल (गो+अजा+अवि+धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति+अपि) चाहे वे गाय ❀ आदि पशु, धन और धान्य से कितने ही बड़े हों (परिवर्जयेत्) उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ६ ॥ (सं० वि० ६६)

❀(अजा) बकरी (अवि) भेड़.........

"चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे।" (स० प्र० ८०)

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥ (७)

वे दश कुल ये हैं—(हीनक्रियम्) एक=जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो (निष्पुरुषम्) दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो (निश्छन्दः) तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान् न हो (रोमश+अर्शसम्) चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां—जिस कुल में बवासीर (क्षयी) छठा—जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (आमयावी) सातवां—जिस कुल में अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो (अपस्मारि) आठवां—जिस कुल में मृगी रोग हो (श्वित्रि) नववां—जिस कुल में श्वेतकुष्ठ (च) और (कुष्ठि कुलानि) दशवां—जिस कुल में गलितकुष्ठ आदि रोग हों उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह कभी न करे॥ ७ ॥ (सं० वि० ६६)

"जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े-बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए।" (स० प्र० ८०)

विवाह में त्याज्य कन्याएं—

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम् ।
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥ (८)

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ६ ॥ (६)

(कपिलाम्) पीले वर्ण वाली (अधिक+अङ्गीम्) अधिक अङ्गवाली जैसी छंगुली आदि (रोगिणीम्) रोगवती (अलोमिकाम्) जिस के शरीर पर कुछ भी लोम न हों (अतिलोमाम्) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों (वाचाटाम्) व्यर्थ अधिक बोलने हारी (पिङ्गलाम्) जिसके पीले, बिल्ली के सदृश नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृक्ष-नदी-नाम्नीम्) जिस कन्या का ऋक्ष=नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती रोहिणी इत्यादि, ❀ नदी=जिसका गंगा, यमुना इत्यादि (अन्त्य-पर्वत-नामिकाम्) पर्वत—जिसका विंध्याचला इत्यादि (पक्षी+अहि-प्रेष्य-नाम्नीम्) पक्षी अर्थात् कोकिला, हंसा इत्यादि, अहि अर्थात् उरगा, भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य—दासी इत्यादि और जिस कन्या का (भीषणनामिकाम्) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उससे विवाह न करे ॥ ८, ६ ॥ (सं० वि० ६६) ❀

❀ (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली। (स० प्र० ८०)

न पीले वर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष[1] से लम्बी-चौड़ी अधिक

---

१. महर्षि-दयानन्द ने (३।८) श्लोक के 'अधिकांगी' शब्द के दो अर्थ किये हैं—(१) अधिक अङ्ग वाली, जैसी छंगुली आदि। (२) पुरुष से लम्बी चौड़ी। इस पर पौराणिकों का यह आक्षेप मिथ्या है कि इस शब्द के दोनों अर्थ नहीं बन सकते। देखिये इन अर्थों की सिद्धि—

(१) **अधिकाङ्गीम्=अधिकान्यंगानि यस्यास्ताम्** । अर्थात् जिसके अधिक अङ्ग हैं, वह छंगुली आदि। इस अर्थ में अधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा 'अङ्ग' शब्द अवयववाची है।

(२) **अधिकाङ्गीम्=अधिकम् अङ्गं=शरीरं यस्यास्ताम्** । अर्थात् जिसका शरीर अधिक=लम्बा चौड़ा है, उसको। इस अर्थ में अधिक, 'अध्यारूढ = बढ़ा हुआ अर्थ में और 'अङ्ग' शब्द अङ्ग समुदाय शरीर अर्थ का बोधक है। इन अर्थों में प्रमाण—

(क) 'अधिकम्' अष्टाध्यायी (५। २। ७३) सूत्र में 'अध्यारूढ' शब्द का उत्तर-पदलोप और 'कन्' प्रत्यय से इस की सिद्धि की है। और निरुक्त में 'अधि' शब्द का 'उपरिभाव' अर्थ भी बताया है। '**अधीत्युपरिभावमैश्वर्यं वा**।' (निरुक्त १। ३)

❀ [**प्रचलित अर्थ**—कपिल (भूरे) वर्णवाली, अधिक (या कम) अङ्गों वाली (यथा—छह अंगुलियों वाली या चार या तीन अंगुलियों वाली आदि), नित्य रोगिणी रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत अधिक रोमवाली, अधिक बोलने वाली

बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्र वाली, न ऋक्ष अर्थात् अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तारि आदि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना आदि नदी नाम वाली; चांडाली आदि अन्त्य नाम वाली; विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली; कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली; माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम वाली और भीमकुंअरि, चण्डिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों के भी हैं।" (स० प्र० ८०)

विवाहयोग्य कन्या—

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।
तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥ १० ॥ (१०)

(अव्यङ्ग+अङ्गीम्) जिसके सरल सूधे अङ्ग हों, विरुद्ध नहीं (सौम्यनाम्नीम्) जिसका नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा आदि हो (हंस–वारणगामिनीम्) हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु–लोम–केशदशनाम्) सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त (मृदु+अङ्गीम्) जिसके सब अङ्ग कोमल हों, वैसी (स्त्रियम् उद्वहेत्) स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥ (स० प्र० ८१)

"किन्तु जिसके सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब अंग कोमल हों, उस स्त्री से विवाह करे" (सं० वि० ९९)

आठ प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि—

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् ।
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २० ॥ [११]

(ख) 'अङ्ग' शब्द अवयव अर्थ में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु अङ्गी=शरीर के लिए भी आता है। जैसे 'येनाङ्गविकारः' (अ० २।३।२०) सूत्र में पाणिनि मुनि ने 'अङ्गी अर्थ में अङ्ग' शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महर्षि-पतञ्जलि लिखते हैं–'अंगं शब्दोऽयं समुदायशब्दः।' इस पर कैयट लिखते हैं—'अङ्गान्यस्य सन्तीत्यर्श-आदित्वा-दच्प्रत्ययान्तोऽत्रांगशब्दो निर्दिष्टः।'

अतः 'अङ्ग' शब्द का केवल अवयव अर्थ मानकर महर्षि के अर्थ पर आक्षेप करने वालों को प्रथम शास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये। महर्षि दयानन्द व्याकरणादि के उद्भट्ट विद्वान् तथा योगी थे, वे शास्त्रविरुद्ध अर्थ कैसे कर सकते थे?

(चतुर्णाम्+अपि वर्णानाम्) चारों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के (प्रेत्य च+इह हित+अहितान्) परलोक में और इस लोक में हित करने वाले [३।३९-४०] तथा अहित करने वाले [३।४१-४२] (इमान् अष्टौ स्त्रीविवाहान्) इन आठ प्रकार के स्त्रियों के, साथ होनेवाले विवाहों को (समासेन) संक्षेप से (निबोधत) जानो, सुनो ॥ २० ॥

अनुशीलन : आठ विवाह और मनु की मान्यता—इस विषय संकेतक श्लोक में मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया और योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) आठ विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारी [३।२०], उत्तम और धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों—आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच को निन्दित, अहितकारी [३।२०], और अधर्मानुकूल मानते हुए उन्हें 'दुर्विवाह' की संज्ञा से अभि-हित करते हैं [३।३९-४२]। निन्दित विवाहों को अपनाने वाले व्यक्ति और उनकी प्रजा भी निन्द्य होती है, अतः वे निषिद्ध हैं [३।४२]।

इसी प्रकार आर्ष विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु अमान्य घोषित करते हैं। बिना कुछ ले-देकर आर्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।५३-५४] [द्रष्टव्य ३।२९ की समीक्षा भी]

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥ (१२)

(ब्राह्मः दैवः तथा+एव+आर्षः प्राजापत्यः तथा आसुरः) ब्राह्म, दैव आर्ष, प्राजापत्य, आसुर (गान्धर्वः राक्षसः च एव अधमः पैशाचः च अष्टमः) गान्धर्व, राक्षस और+पैशाच ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ २१ ॥
(सं० वि० ९९)

+ (अधमः) सबसे निन्दनीय.........

ब्राह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षण—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।
आहूय दान कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ (१३)

(श्रुतिशीलवते [illegible]) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान् पुरुष का

सत्कार करके (आच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके (स्वयम् आहूय) उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो (कन्यायाः दानम्) उसको कन्या देना (ब्राह्मः धर्मः प्रकीर्तितः) वह 'ब्राह्म विवाह' कहाता है ॥ २७ ॥ (सं० वि० ६६)

अनुशीलन : (१) **ब्राह्म-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—विद्वान् एवं श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव के वर को, जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया हो, आदरपूर्वक बुलाकर, वस्त्र आदि से अलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना 'ब्राह्म-विवाह' है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता। 'स्वयम् आहूय' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः इसमें माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है ९।९०-९१]। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस का नाम 'ब्राह्म' है।

(२) **ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह**—कन्या द्वारा स्वयं पसन्द और प्रसन्न करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में यह ही सर्वश्रेष्ठ है। ९। ९०-९१ में भी मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है—'**विन्देत सदृशं पतिम्**'=अपने सदृश योग्य पति का वरण करे।

दैवविवाह का लक्षण—

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४)

(वितते तु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते) बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को (अलंकृत्य सुतादानम्) वस्त्र, आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना (दैवं धर्मं प्रचक्षते) वह 'दैव विवाह' + ॥ २८ ॥ (सं० वि० ९६)※

+(प्रचक्षते) कहा जाता है।

अनुशीलन : (१) दैव विवाह के लक्षण का **स्पष्टीकरण**—

※[**प्रचलित अर्थ**—ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विक् के लिए (वस्त्रालङ्कार आदि से) अलंकृत कन्या का दान करने को धर्मयुक्त 'दैव-विवाह' कहते हैं॥ २८ ॥

श्लोकोक्त वचनों से अभिप्राय स्पष्ट हुआ कि 'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले विद्वान् व्यक्ति का वरण कर (या पूर्व वरण किये हुए और आकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए विद्वान् को) वस्त्र, आभूषणों आदि से अलंकृत कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है।

(२) **देव किनको कहते हैं ?**—देव, सात्त्विक प्रवृत्ति के [१२। ४०[विद्वानों को कहते हैं [द्रष्टव्य २। १२७ (२। १५२) श्लोक और ३। ८२ पर 'देव' शीर्षक समीक्षा], और अग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं। यह विधि देवों=विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अतः इसका नाम 'दैव विवाह' है।

(३) **ऋत्विक् का प्रसंगानुकूल अर्थ**—ऋत्विक् शब्द यद्यपि 'यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विद्वान्' के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविशेष से इस शब्द का विशेष अर्थ है। निरुक्त में ऋत्विक् की एक व्युत्पत्ति यह भी दी है—**'ऋतुयाजी भवतीति वा'** [निरु० ३।४।१६]। **ऋतौ=कालविशेषे, अवसरविशेषे याजी=यजनशीलः याजनशीलो वा।** ऋतु शब्द के 'कालविशेष' और 'उद्देश्यविशेष' अर्थ भी हैं। अवसरविशेष या उद्देश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक् कहलाता है। इस प्रकार विवाह प्रसंग में 'ऋत्विक्' शब्द का अर्थ हुआ—'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, विवाह के उद्देश्य से यजन करने वाला अर्थात् यज्ञीय क्रियाओं को सम्पादन करने वाला विद्वान् द्विज, जिसका विवाहार्थ वरण किया जाता है।' विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूप से यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करता है। प्रायः सभी क्रियाएं वर पर केन्द्रित होती हैं।

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक् शब्द का प्रसिद्धार्थ 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण विद्वान्' ग्रहण करके 'ऋत्विज्' को ही कन्यादान करना दैवविवाह बतलाया गया है। यह अर्थ मनुवचन से विरुद्ध है और प्रसंगानुकूल नहीं है। यतो हि, (१) मनु ने ये सभी विवाह-विधियां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं [३। २०] उनमें प्रथम चार सभी के लिए उत्कृष्ट हैं और अन्तिम चार सभी के लिए निन्द्य हैं [३।३९-४२], (२) आठ विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्णविशेष के लिए निर्धारण नहीं है अपितु योग्यता और प्रक्रियानुसार है। दैवविवाह को केवल 'ऋत्विक्' के लिए मानना उसके उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं। अन्य विवाह-विधियां जब सभी वर्णों के लिए हैं तो दैव विवाह केवल ऋत्विक् व्यक्तियों के लिए वर्णित हो, यह बात प्रसंगानुकूल नहीं है। इससे 'ऋत्विक्' शब्द के उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि होती है।

आर्षविवाह का लक्षण—

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥ (१५)

जो (वरात्) वर से (धर्मतः) धर्मानुसार (एकं गोमिथुनं वा द्वे) एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े (आदाय) लेकर (विधिवत् कन्याप्रदानम्) विधि अनुसार अर्थात् यज्ञादिपूर्वक कन्या का दान करना है (सः) वह (आर्षः धर्मः उच्यते) 'आर्षविवाह' कहलाता है ॥ २९ ॥

"एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह।" (सं० वि० ९९)

अनुशीलन : यह मनु का अपना विधान नहीं है। मनु की मान्यता ३।५३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने भी संस्कारविधि में टिप्पणी देकर लिखा है—

"यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति-विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११९ विवाहप्रकरण)

(१) **आर्षविवाह के विवाद का विवेचन**—आर्ष विवाह में कुछ आचार्यों के मत में 'वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने' का कथन है, जैसा कि इस श्लोक में है। किन्तु मनु ने इस विचार का ३।५३-५४ में तीव्र शब्दों में खण्डन किया है।

इस श्लोक में गोयुगल का विधान होने और ३।५३ में उसका निषेध होने से व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर आर्षविवाह का लक्षण क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं किया है। कुल्लूकभट्ट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'इस श्लोक में 'धर्मतः' पद पठित है, जिसका अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने अग्रिम ३।५१-५४ श्लोकों में लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया है, धर्मविधि को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।'

यह समाधान बुद्धिसंगत और मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता। यह बात तो ठीक है कि ३।५१-५४ श्लोकों में मनु ने लालचवश धन आदि लेने का तीव्र शब्दों में निषेध किया है किन्तु इस श्लोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है—

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुः मृषैव तत् ॥ ३।५३ ॥ मनु कहना चाहते हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को बेचने' के समान है, अतः नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है [३।५४ की समीक्षा में एतत् सम्बन्धी विवेचन द्रष्टव्य है]।

(२) **आर्षविवाह का लक्षण**—अब प्रश्न उठता है कि आर्षविवाह का लक्षण

क्या होगा? क्या मनु ने उसे स्पष्ट किया है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि इस विधि निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, अतः उसको पृथक् से कहने की आवश्यकता नहीं रही। परिशेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि 'बिना किसी लेन-देन के केवल विवाह संस्कारपूर्वक [विधिपूर्वक ३।२६] पूर्णतः सादगी से कन्या प्रदान करना, आर्ष-विवाह है।' इस श्लोक में कन्या के अलंकरण आदि की भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, २८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूर्णतः सादगी से ही होता है। केवल विवाहसंस्कार करके ही वर–वधू ऋषित्व के अनुरूप अर्थात् त्याग, तप, गम्भीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थधारण का निश्चय करते हैं। ऋषिजन-सम्मत, अनुमोदित और उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम आर्ष है।

(३) **ऋषि कौन हैं?**—मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा=विशेषज्ञ विद्वान् व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।८२ की **'ऋषि'** शीर्षक समीक्षा में देखिए।

प्राजापत्य विवाह का लक्षण—

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य च।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ (१६)

(अभ्यर्च्य) कन्या और वर को, यज्ञशाला में विधि करके ('उभौ धर्मं सह चरताम्' इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो' ऐसा (वाचा-अनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम्) दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह प्राजापत्य **विवाह कहाता है** ॥ ३० ॥ (सं० वि० ९९)

अनुशीलन : (१) **प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—वर-वधू को 'तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो' यह कहकर कन्या को अलंकृत करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओं के स्तर पर खोज करके निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधू की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की इच्छा में ही ढली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समझते हैं, उसका निश्चय कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हें गृहस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन-देन नहीं होता।

(२) **प्रजापति किनको कहते हैं?**—प्रजापति, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को कहते हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं—**"प्रजा अपत्यनाम"** निघ० २।२॥ **प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा"** निरु० १०।४१॥ **"पितरः प्रजापतिः"** गो० उ० ६।१५॥

"पुरुषः प्रजापतिः" शत० ६ । २ । १ । २३ ॥ प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापति होते हैं ['पितर' पर विस्तृत विवेचन ३ । ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है] । सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से उसका नाम 'प्राजापत्य' है ।

आसुर विवाह का लक्षण—

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः ।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥ (१७)

(ज्ञातिभ्यः च कन्यायै) वर की जाति वालों और कन्या को (शक्तितः द्रविणं दत्त्वा) यथाशक्ति धन देके+(कन्याप्रदानम्) होम आदि विधि कर कन्या देना (आसुरः धर्मः उच्यते) 'आसुर विवाह' कहाता है ॥ ३१ ॥

(सं० वि० १००)

+ (स्वाच्छन्द्यात्) अपनी इच्छा से अर्थात् वर या कन्या की प्रसन्नता और इच्छा का ध्यान न रखके·········

अनुशीलन : (१) **आसुर-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—धन के लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न देकर, परस्पर धन ले-देकर, अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, वह 'आसुर-विवाह' है । मनु इसे निन्दनीय और अधर्म मानते हैं [३।४१-४२] ।

(२) **असुर किनको कहते हैं ?** 'न सुराः—असुराः' अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान निःस्वार्थ, निर्वैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं । जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं । इसमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं—"**असुरताः स्थानेष्वस्ता, स्थानेभ्य इति वा असुरिति प्राणानामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः ।**" निरु० ३ । ७ ॥ "**(असुराः) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेरुः**" शत० ११ । १ । ८ । १ ॥ **मायात्येसुराः (उपासते)**" शत० १० । ५ । २ । १० ॥ **असु क्षेपणे** (अदादि) धातु से '**असेरुरन्**' (उणादि १ । ४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्' प्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम 'आसुर-विवाह' है ।

गान्धर्व विवाह का लक्षण—

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२ ॥ (१८)

(वरस्य च कन्यायाः) वर और कन्या की (इच्छया+अन्योन्य-संयोगः) इच्छा से दोनों का संयोग होना (मैथुन्यः) और अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसंभवः) यह काम से हुआ (सः तु गान्धर्वः विज्ञेयः) वह 'गान्धर्व विवाह' कहाता है ॥३२॥ (सं० वि० १००)

अनुशीलन : (१) **गान्धर्व-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना और अपने आपको पति-पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धर्व-विवाह' है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्दनीय और अधर्मानुकूल मानते हैं [३।४१-४२]। मनु ने यद्यपि इसमें धन आदि लेने-देने की बात नहीं कही है किन्तु कौटिल्य अर्थ-शास्त्र के अनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता-पिता को बदले में धन देना पड़ता है [प्रक० ५८ । अ० २]।

(२) **गन्धर्व किन को कहते हैं ?** गन्धर्व की व्युत्पत्ति है "**गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्वः**" अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त शृङ्गारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धर्व' कहते हैं। ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है—"**रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते)** शत० १०। ५। २। २०॥ "**योषित् कामा वै गन्धर्वाः**" शत० ३। २। ४। ३॥ "**स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः**" ऐत० १। २७७॥ कौ० १२। ३॥ **गन्धो मे, मोदो मे, प्रमादो मे। तन्मे युवासु (गन्धर्वेषु)** जै० उ० ३। २५। ४॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम 'गान्धर्व' है।

राक्षस विवाह का लक्षण—

हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१९)

(हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा) हनन, छेदन अर्थात् कन्या के रोकने वालों का विदारण कर (क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्याहरणम्) क्रोशती, रोती, कांपती और भयभीत हुई कन्या का+बलात्कार हरण करके विवाह करना (राक्षसः विधिः उच्यते) वह 'राक्षस विवाह'※ ॥३३॥ (सं. वि १००)

+ (गृहात्) घर से················

※ (उच्यते) कहा जाता है।

अनुशीलन : (१) **राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—कन्या के पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा आदि करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलात् उठा ले जाकर उससे विवाह करना 'राक्षस-विवाह' है। मनु के अनुसार यह विवाह भी निन्दनीय और अधर्म है [३। ४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देन का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र के वर्णनानुसार अपहरणकर्त्ता को विवाह के बदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]

(२) **राक्षस किनको कहते हैं ?** रक्ष्-पालने धातु से '**सर्वधातुभ्योऽसुन्**' (उणादि ४। १८६) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुक्त ४। १८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है—"**रक्षः रक्षितव्यमस्माद्, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते इति वा।**" अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुँचाता और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षस विवाह' है।

पैशाच विवाह का लक्षण—

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ ३४॥ (२०)

(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम्) जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को (रहः यत्र+उपगच्छति) एकान्त पाकर दूषित कर देना (सः विवाहानाम् अधमः पापिष्ठः पैशाचः) यह सब विवाहों में नीच से नीच=महानीच, दुष्ट अतिदुष्ट, 'पैशाच विवाह' है॥ ३४॥

(सं०वि० १००)

अनुशीलन : (१) **पैशाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—सोती हुई, पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त अवसर में पाकर दूषित कर देना और उससे विवाह करना, वह 'पैशाच विवाह' है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच दुष्टतापूर्ण और पापरूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उसमें भी विवाह करने वाले को विवाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]।

(२) **पिशाच किनको कहते हैं ?**—पिश् अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्' पद बना। 'पिश' उपपद से आङ्पूर्वक 'चमु-अदने' धातु से 'डः' प्रत्यय-पूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है। अथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'अश्' धातु से अण्, 'इत' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है। '**ये पिशितम्=अवयवीभूतं, पेशितं**

वा मांस रुधिरादिकम् आचमन्ति भक्षयन्ति ते पैशाचाः । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२ । ४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का नाम 'पैशाच' है ।

प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता ॥ ३३ ॥ (२१)

* (ब्राह्म+आदिषु चतुर्षु विवाहेषु) ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चार विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्री-पुरुषों से (पुत्राः जायन्ते) जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रह्मवर्चस्विनः शिष्टसंमताः) वेदादि विद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के संगति से अत्युत्तम होते हैं ॥ ३९॥
(सं० वि० १००)

* (अनुपूर्वशः) क्रमशः प्रारम्भ के.........

अनुशीलन : यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है । वे बालक भविष्य में अर्थात् बड़े होकर उक्तगुणों वाले बनते हैं ।

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२)

वे पुत्र वा कन्या (रूप-सत्त्वगुण+उपेताः) सुन्दर रूप, बल-पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त (धनवन्तः) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुण्य कीर्त्तिमान् (च) और (पर्याप्तभोगाः) पूर्ण भोग के भोक्ता (धर्मिष्ठाः) धर्मात्मा होकर (शतं समाः जीवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं ॥ ४० ॥
(सं० वि० १००)

अन्तिम चार विवाह निन्दनीय—

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥ (२३)

(इतरेषु तु शिष्टेषु दुर्विवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार-आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए (सुताः) सन्तान (नृशंसा+अनृतवादिनः) निन्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी (ब्रह्मधर्मद्विषः) वेदधर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाववाले (जायन्ते) होते हैं ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १००)

श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी—

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा।
निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ (२४)

(अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः प्रजा अनिन्द्या भवति) श्रेष्ठ विवाहों से सन्तान भी श्रष्ठ गुण वाली होती है (निन्दितैः नृणां निन्दिता) निन्दित विवाहों से मनुष्यों की सन्तानें भी निन्दनीय कर्म करने वाली होती हैं (तस्मात्) इसलिए (निन्द्यान् विवर्जयेत) निन्दित विवाहों को आचरण में न लावे ॥ ४२ ॥

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, उन को किया करें।'' (सं० वि० १०२)

ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान—

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा।
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ (२५)

(ऋतुकालाभिगामी स्यात्) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे (स्वदारनिरतः सदा) और अपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वदा त्याग रक्खे वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों से सदैव पृथक् रहे (तद्व्रतः) जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहना है जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब (एनां पर्ववर्जं व्रजेत्) पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान के सोलह दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रति-क्रिया कभी न करें ॥ ४५ ॥ (सं० वि० २६)

अनुशीलन : (१) 'ऋतुदान में वर्जित पर्व— ऋतुदान में वर्जित पर्व अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी तथा चतुर्दशी हैं। इनका वर्णन ४। १२८ में है। वहां भी यह निषेध है।

(२) **पर्वदिनों में समागम-निषेध क्यों ?**—इन पर्वों के दिनों में समागम का निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धार्मिक दिन के रूप में मनाने का विधान करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का आयोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान किया है [४। २५ ॥ ६। ९ ॥ ३। ३ ॥]। इन धार्मिक कृत्यों के पालन के अवसर पर मिताहार [illegible] रहना, संयम रखना आवश्यक है, [illegible]

के फल की सिद्धि नहीं होती [२ । ७२ (२ । ९७)]।

(३) **'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का आवश्यक कर्त्तव्य**—गृहस्थ हो जाने पर व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्रीगमन = सहवास करना, आवश्यक कर्त्तव्य है; इसीलिए मनु ने कहा है—**'ऋतुकालाभिगामी स्यात्' 'पर्ववर्जं व्रजेत्'** । इस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कौटिल्य ने कारणपूर्वक इस कर्त्तव्य को आवश्यक बतलाया है और इसको गृहस्थ का धर्म विधान माना है। इस का पालन न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्था भी निर्धारित की है। वे कहते हैं—'ऋतुकाल में गमन न करने से स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने और उनका आचरण दूषित होने की आशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने गृहस्थ धर्म का पालन न करना है, और ऐसे व्यक्ति को कर्त्तव्य पालन न करने पर ९६ पण दण्ड दिया जाना चाहिये।—**"तीर्थोपरोधो हि धर्मवधः इति कौटिल्यः ।"** [प्रक० ६० । अ० ४] **"तीर्थगूहनागमने षण्णवतिर्दण्डः ।"** [प्रक० ५८ । अ० २]। किन्तु कामनारहित स्व स्त्री के साथ भी बलात् गमन न करे—**"नाकामामुपेयात्"** [प्रक० ५८ । अ० २]।

इसी कारण मनु ने पति के दीर्घप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [९ । ७५] । कौटिल्य ने भी इसका समर्थन और विधान किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६० । ४] ।

स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल—

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ ४६ ॥ (२६)

(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतुः) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल (षोडश रात्रयः स्मृताः) सोलह रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके सोलहवें दिन तक ऋतु समय है (इतरैः सद्विगर्हितैः चतुर्भिः अहोभिः सार्धम्) उनमें से प्रथम की चार रात्रि अर्थात् जिस दिन राजस्वला हो उस दिन से लेके चार दिन निन्दित हैं ॥ ४६ ॥ (सं० वि० २९)

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का स्पर्श और स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे। क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महा रोगकारक है।" (सं० वि० २९)

निन्दित रात्रियां—

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥ (२७)

(तासाम् + आद्याः चतस्रः तु निन्दिताः) जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रयः प्रशस्ता) और बाकी रही दश रात्रि. सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं ॥ ४७ ॥ (सं० वि० २९)

अनुशीलन : (१) **ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रियां**—४६ वें श्लोक में स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माना है। उनमें रजोदर्शन के दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दिन से ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं।

किन्तु इन दश रात्रियों के बीच यदि कोई पर्व अर्थात् अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी का दिन आये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट निर्देश ४। १२८ और ३। ४५ में है। इस प्रकार कभी सात-आठ तो कभी दश रात्रियां ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं।।

२. **ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों का कारण**—रजोदर्शन काल में स्त्रीगमन से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति आयु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४। ४०-४२ श्लोक।

पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्ता—

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥ (२८)

(युग्मासु पुत्राः जायन्ते) युग्म अर्थात् समसंख्या की रात्रियों-छठी, आठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, षोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं (अयुग्मासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संख्या वाली अर्थात् पांचवीं, सातवीं नवमी, पन्द्रहवीं रात्रियों में लड़की उत्पन्न होती है (तस्मात्) इसलिए (पुत्रार्थी) पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष (आर्तवे युग्मासु स्त्रियं संविशेत्) ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे ॥ ४८ ॥

"जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशमी, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तम जानें। परन्तु इनमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है और जिनको कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम समझें[1]। इससे पुत्रार्थी युग्म

१. "रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषध है।"
(सं० वि० २९ पर टिप्पणी)

रात्रियों में ऋतुदान देवे ।'' (सं० वि० २६)

पुत्र और पुत्री होने में कारण—

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।
समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४६ ॥ (२६)

(पुंस अधिके शुक्रे पुमान्) पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र (स्त्रियाः अधिके स्त्री) स्त्री का आर्त्तव अधिक होने से कन्या (समे+अपुमान्) तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व वन्ध्या स्त्री❀(क्षीणे च अल्पे विपर्ययः) क्षीण और अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा गिर जाना (भवति) होता है ॥ ४६ ॥
(सं० वि० २६)

❀ (वा पुम्+स्त्रियौ) अथवा लड़का-लड़की का जोड़ा............

अनुशीलन : (१) **अधिक शब्द से अभिप्राय**—यहां अधिक शब्द से 'मात्राधिक्य' अभिप्राय नहीं है, अपितु 'सामर्थ्याधिक्य' अभिप्राय है। पुरुष के वीर्य में अधिक सामर्थ्य अथवा पुरुष-बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुत्रोत्पत्ति होती है। पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुत्री, समान सामर्थ्य होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा अथवा नपुंसक सन्तान और क्षीण सामर्थ्य या अल्प-सामर्थ्य का बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना आदि होते हैं।

(२) **आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहीं**— अधिकतर लोगों का विचार है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है। लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं— १, एक्स, २. वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु होते हैं। पुरुष का 'वाई' शुक्राणु जब स्त्री के 'एक्स' कीटाणु से मिलता है तब लड़का होता है 'एक्स' के 'एक्स' से मिलने पर लड़की। संभोग के पश्चात् ये शुक्राणु गर्भ नलिकाओं में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, वही सन्तान रूप बनता है।

यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा वह उतना ही पहले जाकर डिम्ब में प्रवेश करेगा। पुरुष-शुक्रकीट अधिक प्रबल होंगे तो वे दौड़ कर पहले प्रवेश करेंगे यदि स्त्री को जन्म देने वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे। यहां भी सामर्थ्य की अधिकता ही पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। इसलिए आयुर्वेद-चिकित्सा में पुत्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रसामर्थ्यवर्धक औषधियां पदान की जाती हैं।

संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी—

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥ (३०)

(निन्द्यासु) निन्दित छह [३।४७] रात्रियों में (च) और (अन्यासु अष्टासु रात्रिषु) इनसे भिन्न शेष दश रात्रियों में से किन्हीं आठ रात्रियों में (स्त्रियः वर्जयन्) स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात् उनसे समागम न करते हुए (यत्र तत्र+आश्रमे वसन्) गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (ब्रह्मचारी+एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥ ५० ॥

"जो पूर्व निन्दित आठ रात्रि[1] कह आये हैं, उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता है।" (सं० वि २६)

अनुशीलन : कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी—निन्दित छह और शेष कोई भी आठ रात्रियां अर्थात् चौदह रात्रियों को छोड़कर, सोलह में से शेष बचीं केवल किन्हीं दो ही श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आचरण में संयम और जितेन्द्रियता गुणों की प्रधानता होती है ॥

वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध—

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि ।
गृह्णंच्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ (३१)

(विद्वान् कन्यायाः पिता) बुद्धिमान्, कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में (अणु+अपि शुल्कं न गृह्णीयात्) थोड़ा सा भी शुल्क=मोल वा धन न ले (लोभेन शुल्कं गृह्णन् हि) लोभ में आकर शुल्क लेने पर (नरः) वह मनुष्य (अपत्यविक्रयी स्यात्) सन्तान को बेचने वाला ही कहाता है ॥५१॥

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ।
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥५२॥ (३२)

(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव=पिता, भाई आदि रिश्तेदार (मोहात्) लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याओं के धनों को (नारीयानानि वा वस्त्रम्) कन्या पक्ष या कन्याओं की सवारी या वस्त्रों को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापाः अधोगतिं यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

अनुशीलन : स्त्रीधन विवरण—३।५२ में चर्चित स्त्रीधन का विवरण मनु ने ९।१९४-१९७ में दिया है। प्रमुखतः यह धन छह प्रकार का होता है—(१) अध्यग्नि=विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि-आवाहनिकम्

१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियां, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी की रात्रियां, ये आठ रात्रियां स्वामी दयानन्द ने निन्दित मानी हैं। द्र० सं० वि० २९ पृ०।

=पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन= प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन। विस्तृत विवरण नवम अध्याय में द्रष्टव्य है।

आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने का निषेध—

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्।
अल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ (३३)

(केचित्) कुछ लोगों ने **(आर्षे)** आर्ष-विवाह में **(गोमिथुनं शुल्कम्)** एक बैलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का (आहुः) कथन किया है (तत्) वह (मृषा+एव) गलती है—मिथ्या ही है (अपि+एवम्) क्योंकि इस प्रकार (अल्पः+अपि वा महान्) थोड़ा अथवा अधिक धन लेना-देना है (सः तावत्) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है[1] ॥ ५३ ॥

"कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पणी)

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः।
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४ ॥ (३४)

(ज्ञातयः) कन्या के पिता आदि या रिश्तेदार (यासां शुल्कं न+आददते) जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते अर्थात् वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं (सः विक्रयः न) इस प्रकार का विवाह 'कन्याओं को बेचना' नहीं कहलाता (तत् कुमारीणां अर्हणम्) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा-सत्कार करना है (च) और (केवलम् आनृशंस्यम्) कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना है, बिना कुछ लिये वर को कन्या देना उसका आदर बढ़ाना है ॥ ५४ ॥

---

१. आजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं। धन-लोभी दानव धनप्राप्ति के लालच में कितनी ही स्त्रियों को सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा रहा है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा है। महर्षि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दशाओं का पूर्वदर्शन किया था। अतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है ताकि लालच की भावना न रहे और कहा है कि विवाह एक सम्मान की बात है, लोभ की नहीं। गृहस्थ के सुख का आधार नारियां ही हैं। उनकी प्रसन्नता और आदर में ही गृहस्थ स्वर्ग है, निरादर और यातना देने में नरक है। [illegible] है।

अनुशीलन : **आर्षविवाह में शुल्क लेना मनुविरुद्ध**—३। २६ में आर्षविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध और खण्डनात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या कौन सी-कौन सी सही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए।

इन श्लोकों की शैली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्मविधान करने का है, अहितकारी बात धर्म नहीं, इसलिए मनु उसको अधर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में सम्पूर्ण मनुस्मृति से भिन्न शैली और शब्दावली है। तदनुसार उक्त शंका का समाधान इस प्रकार है—

(१) मनु ने ३। २०-३४ में जो आठ विवाह प्रदर्शित किये हैं वे उनके स्वयंकृत विधान नहीं हैं अपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे उनका वर्णन मात्र किया है। इसी लिए मनु ने प्रसंग-संकेतक श्लोक ३। २० में "**प्रेत्य चेह हित + अहितान्**" का प्रयोग किया है। अहितकर कोई धर्म नहीं होते, फिर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायें हैं। अन्तिम चार विवाहों के लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते, वे हैं आसुर, गान्धर्व, राक्षस 'अधम पैशाच'। इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुसार निन्दनीय हैं। ३। ४१-४२ में भी मनु ने इनकी निन्दा की है। उन्हें अनार्यों की परम्परा माना है, और निषेध रूप में विहित कर दिया है।

(२) इतना ही नहीं ३। ३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने ८। ३५२-३५७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार मानते हैं [८। ३४५-३४६ ३५२-३५७], और ३। ३१ में वर्णित 'आसुर विवाह' का ३५१-५४ में खण्डन 'विक्रय के रूप में' कहकर किया है।

(३) अब प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है और इनमें धर्मविधान कौन से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं—(क) ३। २० में मनु ने जिन आरम्भिक चार विवाहों को इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक विवाह हैं। देखिए ३। ३९-४० में केवल आरम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति दी है। इनमें भी आर्ष विवाह की परम्परा को मनु धर्म नहीं मानते अतः उसमें सुधार करके अपनी मान्यता ५१—५४ में स्पष्ट कर दी है। (ख) दायभाग प्रकरण में भी मनु ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। 'आसुर' आदि चार विवाहों में निःसन्तान स्त्री के धन का अधिकार उसके मरने पर पति को नहीं होता, क्योंकि वे विवाह मनु के अनुसार वैधानिक एवं धर्म्य नहीं हैं [९।१९७]। प्रारम्भिक चार विवाहों में निःसन्तान पत्नी की मृत्यु पर उसके धन का अधिकार पति को है, क्योंकि मनु के मत में ये विवाह धर्मानुकूल हैं [९। १९६]। इस प्रकार इन श्लोकों और पूर्व के श्लोकों में विरोध होने

हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों मौलिक ही हैं ।

स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल—

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५ ॥ (३५)

(पितृभिः भ्रातृभिः पतिभिः तथा देवरैः) पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि (एताः पूज्याः च भूषयितव्याः) अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात् यथायोग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रक्खें (बहुकल्याणम्+ईप्सुभिः) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें ॥ ५५ ॥ (सं० वि० १४७)

स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६)

(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवताः) दिव्यगुण=दिव्य भोग और उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) और जिस कुल में (एतास्तु न पूज्यन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होती है (तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः) वहां जानो उन की सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६ ॥ (सं० वि० १४८)❀

"जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, देव संज्ञा धराके आनन्द की क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हैं ।" (स० प्र० ९६)

अनुशीलन : ५६ श्लोक का सही अर्थ—प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ कपोलकल्पित, असंगत तथा मनु-असम्मत है । (१) टीकाकार किन्हीं देवताओं की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की संगति नहीं लगा पाते । अगर पहली पंक्ति में देवताओं की प्रसन्नता की बात है तो दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी अप्रसन्नता की बात होनी चाहिए थी, किन्तु

❀ [**प्रचलित अर्थ**— जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आदर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में इन (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं ॥५६॥]

श्लोक में है कि 'उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।' इस प्रकार उनके अर्थ में संगति और तालमेल नहीं बैठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्टव्य ३। ८२ पर 'देव' विषयक अनुशीलन]। (३) पूजा का अर्थ यहां सत्कार और सम्मान देना है। वस्तुतः यहां 'देवताः' का अर्थ 'दिव्यगुण' 'दिव्यसन्तान' या 'दिव्यभोग' है। [प्रमाण २। १५१ (२। १७६) पर द्रष्टव्य] यही अर्थ पूर्वापर प्रसंग से सिद्ध होता है। जहां नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्न रहती हैं। उनकी प्रसन्नता से घर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय होता है। नारी पर ही घर की सुख-शान्ति निर्भर है [३। ५५, ६०, ६२। ९। २८], वही घर की अधिष्ठात्री देवी है [९।२६-२७], माता के रूप में वह निर्मात्री है [९।२७-२८]। इस प्रकार घर की सुख-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वर्य, सुख-सफलता आदि दिव्यगुण पनपते हैं। जहां इसके विपरीत नारियों का अनादर होता है, उस परिवार में अशान्तिके कारण सब क्रियाओं में असफलता प्राप्त होती है। परिवार में उन्नति, सुख आदि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने स्वयं ३। ५७-५८, ५९, ६० में भी की है।

इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुक्त है।

स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥ ५७॥ (३७)

(यत्र) जिस कुल में (जामयः) स्त्रियां (शोचन्ति) अपने-अपने पुरुषों के वेश्यागमन, अत्याचार वा व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं (तत्कुलम् आशु विनश्यति) वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है (तु) और (यत्र एताः न शोचन्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं (तत्+हि सर्वदा वर्धते) वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है॥ ५७॥

"जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।" (स० प्र० ९६)

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्येहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ ५८॥ (३८)

(यानि गेहानि) जिन कुल और घरों में (अप्रतिपूजिताः जामयः) अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रीलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थों को शाप देती हैं (तानि) वे कुल तथा गृहस्थ (कृत्याहतानि[1]+इव) जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें वैसे (समन्ततः विनश्यन्ति) चारों ओर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ (सं० वि० ५८)

"जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु और देवर आदि से दुःखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।" (ऋ० पत्र० वि० ४४४)

स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें—

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥ (३९)

(तस्मात्) इस कारण (भूतिकामैः नरैः) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि (एताः) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) सत्कार के अवसरों और उत्सवों में (भूषण+आच्छादन+अशनैः) भूषण, वस्त्र, खान-पान आदि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा अर्थात् सत्कारयुक्त प्रसन्न रखें ॥ ५९ ॥ (सं० वि० १४८)

"इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें।" (स० प्र० ९६)

पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥ (४०)

---

१. 'कृत्या' शब्द दुष्क्रिया अर्थ का भी बोधक है। देखिये महर्षि-दयानन्द का वेद-भाष्य (यजु० ३५ । ११) (सम्पादक)

हे गृहस्थो ! (यस्मिन् कुले) जिस कुल में (भार्यया भर्त्ता संतुष्टः तथैव भर्त्रा भार्या नित्यम्) भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है (तत्र वै) उसी कुल में (ध्रुवं कल्याणम्) निश्चित कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है ॥ ६० ॥ (सं० वि० १४७)

"जिस कुल में भार्या से भर्त्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं।

(स० प्र० ९५)

पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना—

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् ।
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ (४१)

(यदि हि स्त्री न रोचेत) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांसं न प्रमोदयेत्) वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो (अप्रमोदात् पुनः पुंसः) अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में (प्रजनं न प्रवर्तते) कामोत्पत्ति न होके संतान नहीं होते और होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ (सं० वि० १४७)

"जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता।" (स० प्र० ९५)

स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता—

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२)

(स्त्रियांतुअरोचमानायाम्) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से (सर्वम्+एव न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्न, शोकातुर रहता है (तु) और (स्त्रियां रोचमानायाम्) जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब (तत् सर्वं कुलं रोचते) सब कुल आनन्दरूप दीखता है। ॥ ६२ ॥ (स० वि० १४७)

'स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है।' (स० प्र० ९५)

(पञ्चमहायज्ञ-विषय)

[३ । ४३ से ३ । ८४ तक]

पञ्चमहायज्ञों का विधान—

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि ।
पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ (४३)

(गृही) गृहस्थी पुरुष (वैवाहिके अग्नौ) विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि में या गार्हस्थ्यरूप अग्नि में (गृह्यं कर्म यथाविधि) गृहस्थ के सभी कर्त्तव्यों को [जैसे पाचन, याजन और सन्तानोत्पत्ति आदि] उचित विधि के अनुसार (कुर्वीत) करे (च) और (पञ्चयज्ञविधानम्) होम, दैव आदि [३ । ७०] पांचों यज्ञों को (च) तथा (अन्वाहिकीं पक्तिम्) प्रतिदिन का भोजन पकाना ये भी करे ॥ ६७ ॥

पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण—

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः ।
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥ (४४)

(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्करः) झाड़ू (कण्डनी) ओखली (च) तथा (उदकुम्भः) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूनाः) गृहस्थियों के ये पांच हिंसा के स्थान हैं (याः तु वाहयन्) जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति (बध्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९॥ (४५)

(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यर्थम्) उन सब [३ । ६८] हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यहम्) गृहस्थी लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञाः क्लृप्ताः) महर्षियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है ॥ ६९ ॥

पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥ (४६)

(अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पढ़ना-पढ़ाना, संध्योपासन करना [सावित्रीमप्यधीयीत २ । ७९ (२ । १०४)] 'ब्रह्मयज्ञ' कहलाता है (तु) और (तर्पणं पितृयज्ञः) माता-पिता आदि की सेवा-शुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्ति

करना 'पितृयज्ञ' है (होम: दैव:) प्रात: सायं हवन करना 'देवयज्ञ' है (बलि: भौत:) कीटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों आदि आश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना 'भूतयज्ञ' या 'बलिवैश्वदेवयज्ञ' कहलाता है (अतिथिपूजनम्) अतिथियों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना (नृयज्ञ:) 'नृयज्ञ' अथवा 'अतिथियज्ञ' कहाता है ॥ ७० ॥

पंचैतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः ।
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७)

(य:) जो (एतान् पञ्चमहायज्ञान् शक्तित: न हापयति) इन पांच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (स:) वह (गृहे+अपि वसन्) घरमें रहता हुए भी (नित्यम्) प्रतिदिन (सूनादोषै: न लिप्यते) चुल्ली=चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों से उनका शमन होता रहता है] ॥ ७१ ॥

देवताऽतिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ (४८)

(य:) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता+अतिथि+भृत्यानां पितृणां च आत्मन: पञ्चानाम्) अग्नि आदि देवताओं को [हवन के रूप में], अतिथियों को [अतिथि यज्ञ के रूप में], भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठी, भृत्य आदि के लिए [भूतयज्ञ या बलिवैश्वदेव यज्ञ के रूप में], माता-पिता, पितामह आदि के लिए [पितृयज्ञ के रूप में] और अपनी आत्मा के लिए [ब्रह्मयज्ञ के रूप में] इन पांचों के लिए (न निर्वपति) उनके भागों को नहीं देता है अर्थात् पांच दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है (स:) वह (उच्छ्वसन् न जीवति) सांस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता अर्थात् मरे हुए व्यक्ति के समान है ॥ ७२ ॥

पञ्चयज्ञों के नामान्तर—

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।
ब्राह्म्यं हुतं प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ (४९)

(पञ्चयज्ञान्) इन पांच यज्ञों को (अहुतं हुतं प्रहुतं ब्राह्म्यं हुतं च प्राशितं एव) 'अहुत', 'हुत', 'प्रहुत', 'ब्राह्म्यहुत' और प्राशित भी (प्रचक्षते) कहते हैं ॥ ७३ ॥

जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः।
ब्राह्म्यं हुतं द्विजाग्र्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥ (५०)

(अहुतः जपः) 'अहुत' 'जपयज्ञ' अर्थात् 'ब्रह्मयज्ञ' को कहते हैं (हुतः होमः) 'हुतः' होम अर्थात् 'देवयज्ञ' है (प्रहुतः भौतिकः बलिः) 'प्रहुत' भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात् 'भूतयज्ञ' या 'बलिवैश्वदेवयज्ञ' है (ब्राह्म्यं हुतम्) 'ब्राह्म्यहुत' (द्विजाग्र्यार्चा) विद्वानों की सेवा करना अर्थात् 'अतिथियज्ञ' है (प्राशितं पितृतर्पणम्) 'प्राशित' माता-पिता आदि का तर्पण =तृप्ति करना 'पितृयज्ञ' है ॥ ७४ ॥

ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे चैवेह कर्मणि।
दैवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात् ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे अर्थात् प्रतिदिन अवश्य करे (च) और (दैवे कर्मणि एव) देवकर्म अर्थात् अग्निहोत्र भी अवश्य करे (हि) क्योंकि (इह) इस संसार में रहते हुए (दैवकर्मणि युक्तः) अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर+अचरं बिभर्ति) इस समस्त चेतन और जड़ जगत् का पालन-पोषण और भला करता है ॥ ७५ ॥

अनुशीलन : अग्निहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उससे प्रजाओं तथा अन्य पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और अचर जगत् का पोषण होता है। अगले ही श्लोक में इसका स्पष्टीकरण है।

अग्निहोत्र से लाभ—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ (५२)

[वह पालन-पोषण और भला इस प्रकार होता है] (अग्नौ सम्यक् प्रास्ता+आहुतिः) अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति (आदित्यम्+उपतिष्ठते) सूर्य को प्राप्त होती है—सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती है, फिर (आदित्यात्+जायते वृष्टिः) सूर्य से वृष्टि होती है (वृष्टेः+अन्नम्) वृष्टि से अन्न पैदा होता है (ततः प्रजाः) उससे प्रजाओं का पालन-पोषण होता है ॥ ७६ ॥

अनुशीलन : यज्ञ न करने से पाप—होम न करने से पाप और करने से सृष्टि का उपकार होता है। इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—

"प्रश्न—क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ?

उत्तर—हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए।"

(स० प्र० तृतीय समु० होम प्रकरण)

गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता—

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥ (५३)

(यथा वायु समाश्रित्य) जैसे वायु के आश्रय से (सर्वजन्तवः वर्तन्ते) सब जीवों का वर्त्तमान सिद्ध होता है (तथा) वैसे ही (गृहस्थम्+आश्रित्य) गृहस्थ के आश्रय से (सर्वे+आश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों का (वर्त्तन्ते) निर्वाह होता है ॥ ७७ ॥ (सं० वि० १४६)

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥ (५४)

(यस्मात्) जिस से (त्रयः+अपि+आश्रमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, इन तीन आश्रमियों को (अन्नेन दानेन अन्वहम्) अन्न-वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन+एव धार्यन्ते) गृहस्थ धारण-पोषण करता है (तस्मात्) इसलिए (गृही-आश्रमः ज्येष्ठः) व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है ॥ ७८ ॥ (सं० वि० १४६)

"जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है।"

(स० प्र० १२२)

अनुशीलन : गृहस्थी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा ७७ श्लोक के समान आलंकारिक विधि में वर्णन ६। ८९-९० में द्रष्टव्य है।

गृहस्थ के योग्य कौन—

स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥ (५५)

हे स्त्री पुरुषो ! जो तुम (अक्षयं स्वर्गं ... सुखम् इच्छता)

अक्षय* मुक्ति-सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दुर्बलेन्द्रियैः धार्यः) जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है (सः नित्यं प्रयत्नेन संधार्यः) उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो ॥ ७९ ॥ (सं० वि० १५०)

"इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे ॥" (स० प्र० १२२)

अनुशीलन : स्वर्ग से अभिप्राय—इस श्लोक के प्रसंग में यहां मनु की स्वर्ग या स्वर्गलोक-सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताओं के सन्दर्भ में भी वह भ्रान्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। इसमें प्रमाण हैं—

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है। इस श्लोक में अक्षय सुख अर्थात् मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है।

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है—

(क) "**अस्वर्ग्यं चातिभोजनम्** ।" २ । ३२ [२ । ५७]

(ख) "**दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च ह** ।" ९ । २८ ॥

(ग) "**स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्** ।" ४ । १३ ॥

(३) अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग—

(क) प्रस्तुत ३ । ७९ श्लोक में "**स्वर्गमक्षयमिच्छता**" ।

(ख) **इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम्** ।" ६ । ८४ ॥

(४) मनु ने १२ । ९, ३९–५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है।

(५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर्' उपपद में 'गम्लृ-गतौ' धातु से '**ड प्रकरणेऽन्येष्वपि दृश्यते** अ० ३ । २ ४८ वार्तिकसूत्र से 'डः' प्रत्यय के योग से बनता

---

*अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है उतने समय में दुःख का संयोग, जैसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता, वैसा नहीं होता। (ऋषि दया० सं० वि० टिप्पणी गृहास्थाश्रम प्रकरण)

है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। 'स्वः' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात् सुख है।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है। 'लोकृ दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है जिसका अर्थ 'स्थान' है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है—सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचन ४। ६१ की अन्तर्विरोध समीक्षा में देखिए।

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता॥ ८०॥ (५६)

(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा अतिथयः) ऋषि-मुनि लोग, माता पिता, अग्नि आदि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी आदि और अतिथि लोग (कुटुम्बिभ्यः आशासते) गृहस्थों से ही आशा रखते हैं अर्थात् सहायता की अपेक्षा रखते हैं (विजानता तेभ्यः कार्यम्) अपने गृहस्थ-सम्बन्धी कर्त्तव्यों को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य करे॥ ८०॥

अनुशीलन : ऋषि, देवता, देव और पितर के अर्थज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा देखिए।

पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म—

स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन्होमैर्देवान्यथाविधि।
पितॄन्श्राद्धैश्च नॄनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा॥ ८१॥ (५७)

(स्वाध्यायेन ऋषीन्) स्वाध्याय से ऋषिपूजन (यथाविधि होमैः देवान्) यथाविधि होम से देवपूजन (श्राद्धैः पितॄन्) श्राद्धों से पितृपूजन (अन्नैः नॄन्) अन्नों से मनुष्यपूजन (च) और (बलिकर्मणा भूतानि) वैश्वदेव बलि से प्राणी मात्र का सत्कार करना चाहिए॥ ८१॥ (द० ल० ग्र० २३)

अनुशीलन : इस श्लोक पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(१) "इन श्लोकों से क्या आया कि होम जो है, सो ही देवपूजा है, अन्य कोई नहीं। और होमस्थान जितने हैं, वे ही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैं।

पूजा नाम सत्कार। क्योंकि **'अतिथिपूजनम्'** 'होमैर्देवानर्चयेत्'—अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका नाम है पूजा, अन्य का नहीं।" (द० शा० ५४)

"इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात् मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है। (पू० प्र० ६७)

श्राद्ध का अर्थ है–श्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापूर्वक माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना आदि। यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है।

(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं अर्थ ३। ८२ पर देखिए।

पितृयज्ञ का विधान—

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा।
पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ८२ ॥ (५८)

गृहस्थ व्यक्ति (अन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः+मूल+फलैः) अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से (पितृभ्यः प्रीतिम् आवहन्) माता-पिता आदि बुजुर्गों से अत्यन्त प्रेम करते हुए (अहः+ अहः श्राद्धं कुर्यात्) प्रतिदिन श्राद्ध=श्रद्धा से किये जाने वाले सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना आदि कर्त्तव्य करे ॥ ८२ ॥

अनुशीलन : यहाँ पितृयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। इससे श्राद्ध और तर्पणविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश होगा तथा मृतकश्राद्ध और तर्पण सम्बन्धी भ्रान्तियाँ भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पितृयज्ञ' अर्थात् जिसमें जो देव, विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है—पितृयज्ञ के दो भेद हैं—एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। '**येन कर्मणा विदुषो देवान्, ऋषीन्, पितॄंश्च तर्पयन्ति=सुखयन्ति तत्तर्पणम्**'। अर्थात् जिस कर्म से विद्वान्रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। '**यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते**' तत् '**श्राद्धम्**'। अर्थात् जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती। और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वथा असम्भव है······तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं—देव, ऋषि और पितर।" (द० ल० ग्र० सं० २४५)

(१) '**पितर' से अभिप्राय**—

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानैः ते पितरः"=जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' कहलाते हैं। इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(अ) "**देवा वा एते पितरः**" (गो० उ० १। २४)

(आ) "**स्विष्टकृतो वै पितरः**" (गो० उ० १। २५)

अर्थात् सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं।

(इ) 'मर्त्याः पितरः' (श० २।१।३।४)

मनुष्य ही 'पितर' हैं अर्थात् मृत नहीं।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है। माता-पिता-पितामह-आचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४। २५७ में उनके ऋण से उऋण होने के लिए कहा है— **महर्षि-पितृ-देवानां गत्वानृण्यं यथाविधि।** यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(ई) **अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः।**
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्॥ २। १२६॥

(उ) **पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः॥** १२। ४६॥

(ऊ) **पितृदेवमनुष्याणां वेदचक्षुः सनातनम्॥** १२। ९४॥

(ए) **दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥** ९। २८॥

(ऐ) **ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।**
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता॥ ३। ८०॥

मनु ने ४। ३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है। वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं।

(ओ) पितरों में वेद का प्रमाण—

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम्।
स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन्॥ (यजु० २। ३४)

"**अर्थ**—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत मे पितृन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करने के पदार्थ ये हैं—(ऊर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विध रस (घृतम्) घी (पयः) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्रुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो।" (द० ल० ग्र० सं० २४५—२५५)

(अं) **पितरों की गणना और उनका अभिप्राय—**

"जिनकी पितृसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१—सोमसदः। २—अग्निष्वात्ताः। ३—बर्हिषदः। ४—सोमपाः। ५—हविर्भुजः ६—आज्यपाः ७—सुकालिनः। ८—यमराजाः। ९—पितृपितामहप्रपितामहाः। १०—मातृपितामहीप्रपितामह्यः। ११—सगोत्राः। १२—आचार्यादिसम्बन्धिनः।

१—**सोमसदः**—'सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च' ते 'सोमसदः'=जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 'सोमसद्' कहाते हैं।

२—**अग्निष्वात्ताः**—'अग्निरीश्वरः सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते यद्वा अग्नेर्गुणज्ञानात् पृथिवी=जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आत्ता गृहीता यैः' ते 'अग्निष्वात्ताः'=अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके गुणज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'अग्निष्वात्त' कहते हैं।

३. **बर्हिषदः**—'बर्हिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शम-दमादिषूत्तमेषु गुणेषु वा सीदन्ति' ते 'बर्हिषदः'=जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बर्हिषद्' कहते हैं।

४—**सोमपाः**—'यज्ञेन उत्तमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा' ते 'सोमपाः'=जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं।

५—**हविर्भुजः**—'हविर्हुतमेव यज्ञेन शोधितवृष्टिजलादिकं भोक्तुं भोजयितुं वा शीलमेषां' ते 'हविर्भुजः'=जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हविर्भुज्' कहते हैं।

६—**आज्यपाः**—'आज्यं घृतम्, यद्वा 'अज् गतिक्षेपणयोः' धात्वर्थात् आज्यं विज्ञानम्, तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसः' ते 'आज्यपाः'=घृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उनको 'आज्यप' कहते हैं।

७—**सुकालिनः**—'ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो येषां ते। यद्वा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदैव कालो येषां' ते 'सुकालिनः'=मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन्' कहते हैं।

८—**यमराजाः**—'ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्त्तारः सन्ति' ते 'यमराजाः'=जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं।

९—**पितृ-पितामह-प्रपितामहाः**—(पितृ) 'ये सुष्टुतया श्रेष्ठान् विदुषो गुणान् वासयन्तः तत्र वसन्तश्च, विज्ञानादि अनन्तधनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्तश्च,

चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितरः 'वसवः' विज्ञेया ईश्वरोऽपि'=जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है। (पितामह) 'ये पक्षपातरहिता दुष्टान् रोदयन्तः चतुश्चत्वारिंशत् वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासाः ते 'रुद्राः' स्वे पितामहाश्च ग्राह्याः तथा रुद्र ईश्वरोऽपि'=जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है। (प्रपितामह) 'आदित्यवत् उत्तमगुणप्रकाशका' विद्वांसो ऽष्टचत्वारिंशत् वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्नाः सूर्यवत् विद्याप्रकाशाः त आदित्याः स्वे प्रपितामहाश्च ग्राह्याः तथा आदित्यो ऽविनाशीश्वरो वात्र गृह्यते'=जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उपकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं। तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये।

१०—मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः—पित्रादिसदृश्यो मात्रादयः सेव्याः= पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये। माता, दादी, परदादी आदि।

११—सगोत्राः—'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः'=जो समीपवर्ती ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं।

१२—आचार्यादिसम्बन्धिनः—'ये गुर्वादिसम्बन्ताः सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः'—जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए"। (द० ल० ग्रं० २४५—२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करनी ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भ्रान्ति एवं अज्ञानता है।

(२) 'देव' से अभिप्राय—

'दिवु=क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' (दिवादि) धातु से 'पचाद्यच्' से 'अच्' प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या 'दिवु-परिकूजने' (चुरादि) धातु से 'अच्' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। देव जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं (विस्तृत विवरण १। ६७ की समीक्षा में देखिए)। इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट हैं। शतपथ में आता है—

(अ) "द्वयं वाऽइदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च। सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः 'इदमहमनृतात् सत्यमुपैमीति' तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति।

(शतपथ० १।१।१।४)

"दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य। वहां सत्य और झूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे 'देव' और वैसे ही झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं।"

(द० ल० ग्र० सं० २४५—२५५)

(आ) **विद्वांसो हि देवाः** (शत० ३।७।६।१०)

(इ) **ये ब्राह्मणः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥**

(शत० २।४।३।१४॥

(ई) **सत्यसंहिता वै देवाः** (ऐ० ब्रा० १।१६)

अर्थात् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है—"**देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा। यो देवः स देवता**" [निरु० ७।१५] अर्थात् दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाशित होने से, द्युस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है।

मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं—

(उ) **ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः।**
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ २।१२७ ॥

(ऊ) **न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः।**
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ २।१३१ ॥

३) **ऋषि से अभिप्राय—**

'**ऋषी गतौ**' धातु से '**इन्**' प्रत्यय और '**इगुपधात् कित्**' के योग से '**ऋषि**' शब्द की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्च-स्तर का विद्वान् व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष ऋषि कहलाता है। वेद, वेदार्थों और विद्याओं के गूढ़ ज्ञान का प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वही धर्मोपदेष्टा होता है।

(क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है—**ऋषिः दर्शनात्। स्तोमान् ददर्श इत्यौपमन्यवः।**" [निरु० २।११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार '**साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः।**" अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्त्ता होते हैं। [निरु० १।२०]।

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं—

(अ) "यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः।" (श० ४। ३। ४। १९)

(आ) "एते वै विप्रा यदृषयः।" (श० १। ४। २। ७)

(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(इ) न हायनैर्नपलितैः न वित्तेन न च बन्धुभिः।
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥ २। १२९॥

(ई) ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः।
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ ४। ९४॥

(उ) आर्षं धर्मोपदेशम् च॥ १२। १०६॥

(ऊ) "अथ यदेवानुब्रवीत। तेनर्षिभ्य ऋणं जायते, तद्ध्येभ्य एतत् करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः॥" (शत० १। ७। ५। ३)

"अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवेनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते॥" (शत० १। ४। ५। ३)

"अर्थ—सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकर्म' कहाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुख करने वाला होता है। यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ाता है; उसको 'ऋषि' कहते हैं।

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्षेय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 'ऋषि' नाम होता है।" (द० ल० ग्र० सं० २४५—२५५)

इस प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव जीवित मनुष्यों के स्तरविशेष पर आधारित या विशेषगुणों के आधार पर रखी गई संज्ञाएं हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले 'ऋषि', आचरण में दिव्य-गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान् 'देव', और पालक गुण वाले वयोवृद्ध विद्वान् या पिता आदि 'पितर' हैं।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान—

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्।
आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्॥ ८४॥ (५६)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्ये+अग्नौ) पाकशाला की

अग्नि में (विधिपूर्वकम्) विधिपूर्वक (सिद्धस्य वैश्वदेवस्य) सिद्ध=तैयार हुए बलिवैश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (अन्वहम्) प्रतिदिन (आभ्यः देवताभ्यः होमं कुर्यात्) इन देवताओं=ईश्वरीय दिव्यगुणों के चिन्तन-पूर्वक आहुति देकर हवन करे ॥ ८४ ॥

"चौथा वैश्वदेव—अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वक होम नित्य करे (सत्यार्थ० चतुर्थ समु०)

अनुशीलन : यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं—यज्ञ में लवण-युक्त पदार्थ की आहुति डालने का विधान नहीं है। लवणयुक्त भोजन को स्वयं के लिए प्रयोग करना चाहिए और लवणरहित अन्न, पदार्थ, मिष्टान्न आदि की यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। मनु ने ६। १२ में यह मान्यता स्पष्ट की है।

अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः ।
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥ (६०)

(आदौ) प्रथम (अग्नेः सोमस्य च एव) अग्नि=पूज्य परमेश्वर और सोम=सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' पर-मात्मदेव के लिए ['ओम् अग्नये स्वाहा' 'ओं सोमाय स्वाहा' इन मन्त्रों द्वारा] (च) और (तयोः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए संयुक्त रूप में ['ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा' इस मन्त्र के द्वारा] अग्नि=जो प्राण अर्थात् सब प्राणियों के जीवन का हेतु है और सोम=जो अपान अर्थात् दुःख के नाश का हेतु है (च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः एव) विश्वदेवों=संसार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों के लिए ['ओं विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्व-न्तरये एव) धन्वन्तरि=जन्म-मरण आदि के अवसर पर आने वाले रोगों का नाश करने वाले ईश्वर के गुण के लिए ['ओं धन्वन्तरये स्वाहा' इस मन्त्र से] बलिवैश्वदेव यज्ञ में आहुति देवे ॥ ८५ ॥

कुह्वै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च ।
सहद्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ (६१)

(च) और (कुह्वै) अमावस्या की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात् कृष्णपक्ष को रचनेवाली परमेश्वर की शक्ति के लिए ['ओं कुह्वै स्वाहा' मन्त्र से] (च) तथा (अनुमत्यै) पूर्णिमा की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति

अर्थात् शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या परमेश्वर की चितिशक्ति के लिए ['ओं अनुमत्यै स्वाहा' मन्त्र से] (प्रजापतये एव) सब जगत् को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के लिए ['ओं प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से] (सहद्यावापृथिव्योः) ईश्वर द्वारा उत्पादित द्युलोक और पृथिवी लोक की पुष्टि के लिए ['ओं सहद्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा' मन्त्र से] (तथा अन्ततः) और अन्त में (स्विष्टकृते) अभीष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुण के लिए ['ओं स्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से] आहुति देवे ॥ ८६ ॥

एवं सम्यग्घविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम् ।
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ ॥ (६२)

(एवम्) इस प्रकार (सम्यक् हविः हुत्वा) अच्छी तरह उपर्युक्त आहुतियाँ देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्) सब दिशाओं में घूमकर (सानुगेभ्यः इन्द्र+अन्तक+अप्पति+इन्दुभ्यः) परमेश्वर के सहचारी गुणों इन्द्र=सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होना, अन्तक=यम अर्थात् न्यायकारी होना, या प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, अप्पति=वरुण अर्थात् सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्दु=सोम अर्थात् आनंददायक होना इनके लिए स्मरणपूर्वक [क्रमशः 'ओं सानुगायेन्द्राय नमः' मन्त्र से पूर्व दिशा में, 'ओं सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिशा में, 'ओं सानुगाय वरुणाय नमः' से पश्चिम दिशा में, 'ओं सानुगाय सोमाय नमः' से उत्तर दिशा में] (बलिं हरेत्) भोजन के भाग अर्थात् बलि को रखे ॥ ८७ ॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥ (६३)

(मरुद्भ्यः इति तु द्वारि) मरुत्=जीवन के संचालक प्राणरूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओं मरुद्भ्यो नमः' मन्त्र से] द्वार पर (अद्भ्यः इति+अपि अप्सु) सर्वत्र व्याप्त और सम्पूर्ण जगत् के आश्रय रूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओम् अद्भ्यो नमः से], जलों में (क्षिपेत्) बलि भाग को डाले (एवम्) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों के समीप 'ओं वनस्पतिभ्यो नमः' से], (मुसल+उलूखले) मूसल और ऊखल के समीप (हरेत्) बलि रखे ॥ ८८ ॥

उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद् भद्रकाल्यै च पादतः ।
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९ ॥ (६४)

(श्रियै उच्छीर्षके) सबके द्वारा सेव्य परमात्मा की सेवा से राज्यश्री

अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ['ओं श्रियै नमः' से] ईशान कोण की ओर (च) और (भद्रकाल्यै पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की प्राप्ति के लिए ['ओं भद्रकाल्यै नमः' से] पृष्ठभाग अर्थात् नैऋत्य कोण की ओर (कुर्यात्) बलिभाग रखे (तु) और (ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्याम्) ब्रह्म—वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्पति=गृहसम्बन्धी पदार्थों के दाता ईश्वर की सहायता के लिए ['ओं ब्रह्मपतये नमः' 'ओं वास्तुपतये नमः' इन से] (वास्तुमध्ये बलिं हरेत्) घर के मध्य-भाग में बलिभाग रखे ॥ ८९ ॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत् ।
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥(६५)

(च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति लिए (आकाशे बलिम् उत्क्षिपेत्) ['ओ विश्वेभ्यः देवेभ्यः नमः' से] आकाश की ओर या घर के ऊपर बलिभाग रखे (च) तथा (दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यः) दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः'] (नक्तंचारिभ्यः एव) और रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः' मन्त्र से] बलि रखे ॥ ९० ॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये ।
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥ (६६)

(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या आश्रयरूप परमात्मा की सत्ता का स्मरण करने के लिए ['ओं सर्वात्मभूतये नमः' से] (पृष्ठवास्तुनि बलिं कुर्वीत) घर के पृष्ठभाग में बलिभाग रखे (सर्वं बलिशेषं तु) शेष बलिभाग को (पितृभ्यः) माता-पिता, आचार्य, अतिथि, भृत्य आदिकों को सम्मानपूर्वक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए [ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः' इस मन्त्र से] (दक्षिणतः हरेत्) घर के दक्षिण भाग में रखे ॥ ९१ ॥❀

❀ महर्षि-दयानन्द ने ८५ से ९१ श्लोकों का भाव ग्रहण करके स० प्र० १०० से १०२, पञ्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २५८—२६३ तथा सं० वि० १६२—१६४ पर बलिवैश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन सभी श्लोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियां भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उस वर्णन को यहां उद्धृत नहीं किया जा रहा है। विशेष अध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तकों में देख सकते हैं।

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।
वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥ ९२ ॥ (६७)

(च) और (शुनां पतितानां श्वपचां पापरोगिणां वायसानां च कृमीणां) कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कृमी इन छः नामों के छः भाग (भुवि शनकैः निर्वपेत्) पृथिवी में धरे ॥ ९२ ॥ (सं० वि० १६४)

इस प्रकार 'श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपचेभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः' से बलि-धरकर पश्चात् किसी दुःखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे देवे । यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है—

(सत्यार्थ० चतुर्थ समु०)

अतिथियज्ञ का विधान—

कृत्वैतद् बलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत् ।
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद् ब्रह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ (६८)

(एतत् बलिकर्म कृत्वा) उपर्युक्त [३ । ८४—९२] बलिवैश्वदेव यज्ञ करके (पूर्वम् अतिथिम् आशयेत्) पहले अतिथि को भोजन खिलाये (च) तथा (भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत् भिक्षां दद्यात्) भिक्षा के लिए आये हुए ब्रह्मचारी के लिए विधिपूर्वक भिक्षा देवे ॥ ९४ ॥

संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके ।
अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ९९ ॥ (६९)

(तु) और (संप्राप्ताय अतिथये) आये हुए अतिथि के लिए (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्कार करके (यथाशक्ति) शक्ति के अनुसार (आसन+उदके च अन्नम् एव) आसन और जल तथा अन्न भी (प्रदद्यात्) प्रदान करे ॥ ९९ ॥

सज्जनों के घर में सत्कारार्थं सदा उपलब्ध वस्तुएं—

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता ।
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ (७०)

(तृणानि) बैठने के लिए आसन (भूमिः) बैठने या सोने के लिए स्थान (उदकम्) पानी (च) और (सूनृता वाक्) सत्कारयुक्त मीठी वाणी (एतानि+अपि) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ [illegible] व्यक्तियों के घर में (कदाचन न+उच्छिद्यन्ते) कभी भी नष्ट नहीं

होतीं अर्थात् श्रेष्ठ-सभ्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अवश्य ही सत्कार करते हैं ॥ १०१ ॥

अतिथि का लक्षण—

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः।
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥(७१)

(ब्राह्मणः) विद्वान् व्यक्ति (एकरात्रं तु निवसन्) जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे तो उसे (अतिथिः स्मृतः) अतिथि कहा गया है (यस्मात् हि अनित्यं स्थितः) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (अतिथिः उच्यते) अतिथि कहा जाता है ॥ १०२ ॥

"जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और स्थिति भी जिस की अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथियज्ञ का अधिकारी वही है, जो विद्वान् हो एवं जिसका आना, जाना और ठहरना अनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है।"
(पू० प्र० १४३)

अतिथि कौन नहीं होते—

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा।
उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ (७२)

(यत्र भार्या अपि वा अग्नयः) जिसके घर में पत्नी हो और पंचयज्ञों की अग्नि जहां प्रज्वलित रहती हो अथवा जहां पाकाग्नि प्रज्वलित होती हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साङ्गतिकं विप्रं गृहे उपस्थितम्) एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान् यदि घर में आया हुआ हो तो (अतिथिं न विद्यात्) उसे अतिथि के रूप में न समझे ॥ १०३ ॥

दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप—

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः।
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १०४ ॥ (७३)

(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम् उपासते) पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो (ते अबुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (अन्नादिदायिनां पशुतां व्रजन्ति) अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से अन्न आदि को

ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १०४ ॥
(सं० वि० १५०)

अनुशीलन: लोभ-लालच के वशीभूत होकर जो यह सोचते रहते हैं कि अपनी बचत हो जाये और दूसरों के यहां खाते रहें उनके लिए यह कथन है। क्योंकि, उनमें आयु भर पशुत्व के संस्कार प्रभावी एवं प्रबल हो जाते हैं।

घर से अतिथि को न लौटाये—

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना।
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत् ॥ १०५ ॥(७४)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढः अतिथिः अप्रणोद्यः) सायंकाल सूर्य अस्त होते देख आये हुए अतिथि को वापिस न लौटाये और (काले प्राप्तः वा अकाले) चाहे समय पर आये अथवा असमय पर (अस्य गृहे अनश्नन् न वसेत्) इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहे ॥ १०५ ॥

अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायक—

न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्।
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥(७५)

(यत् अतिथिं न भोजयेत्) जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे (तत् वै स्वयं न अश्नीयात्) उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे, अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे (अतिथिपूजनम्) अतिथि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम् आयुष्यं वा स्वर्ग्यम्) सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है ॥ १०६ ॥

अनुशीलन: अतिथिसेवा यश-आयु-सुख-सौभाग्यवर्धक—जिस प्रकार अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, आयु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्वान्, धार्मिक, सद्गुण सम्पन्न अतिथियों की सेवा करने से यश मिलता है। उनके सान्निध्य से अच्छे आचरण की, धर्म की, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा से आयु, सौभाग्य और सुख बढ़ते हैं, [२। ६६ (२। १२१) की अनुशीलन समीक्षा भी द्रष्टव्य]।

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्।
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७ ॥ (७६)

जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब (आसन+आवसथौ) आसन, निवास (शय्याम्+अनुव्रज्याम्+उपासनाम्) शय्या, पश्चात् गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा अर्थात् (उत्तमेषु+उत्तमं, समे समं, हीने हीनं कुर्यात्) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट

का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न समझें ॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५०)

दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं—

वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत् ।
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत् ॥ १०८ ॥ (७७)

(वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते) वैश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर अर्थात् भोजन बनने और उसकी यज्ञ में आहुतियां दे देने के पश्चात् भी (यदि+अन्यः+अतिथिः+आव्रजेत्) यदि कोई और अतिथि आ जाये तो (तस्य+अपि यथाशक्ति अन्नं प्रदद्यात्) उसको भी यथाशक्ति भोजन कराये (बलिं न हरेत्) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८ ॥

अनुशीलन : श्लोक ९४ से १०८ तक के विषय में सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में निम्न प्रकार लिखा है—"अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उसको कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक सत्योपदेशक सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्ण विद्वान् परमयोगि-संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठालकर खान, पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवाशुश्रूषा करके, प्रसन्न करे। पश्चात् सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल-चलन भी उन्के सदुपदेशानुसार रक्खे"।

संस्कार विधि गृहाश्रम के अतिथियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है—

"पांचवाँ जो धार्मिक;, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सर्व हितकारक विद्वानों की अन्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अतिथियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया करें।"

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के पञ्चमहायज्ञान्तर्गत अतिथियज्ञ-विधान में निम्न प्रकार लिखा है—"अब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात् जिसमें अतिथियों की यथावत् सेव करनी होती है,उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान् परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा सत्यवादी, छल-कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हैं।"

अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन—

इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान् ।
सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ (११३)(७८)

(संप्रीत्या) प्रीतिपूर्वक (भार्यया सह गृहम्+आगतान् इतरान् सख्यादीन् अपि) पत्नी के साथ घर में आये अन्य मित्र आदि को भी

(सत्कृत्य) सत्कारपूर्वक (यथाशक्ति अन्नं भोजयेत्) शक्ति के अनुसार भोजन करावे ॥ ११३ ॥

अतिथियों से पहले किन को भोजन दें—

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥११४॥(७९)

(सुवासिनीः च कुमारीः) नव विवाहिता और अल्पवयस्क कन्याओं (रोगिणः) रोगियों को (गर्भिणीः स्त्रियः) गर्भवती स्त्रियों को (एतान्) इन्हें (अतिथिभ्यः+अग्रे+एव) अतिथियों से पहले ही (अविचारयन्) बिना किसी संदेह के अर्थात बड़े-छोटे को पहले-पीछे भोजन कराने का विचार किये बिना (भोजयेत्) खिला दे ॥ ११४ ॥

गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना—

भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥ (८०)

(अथ विप्रेषु भुक्तवत्सु) विद्वान् अतिथियों द्वारा भोजन कर लेने पर (च) और (स्वेषु भृत्येषु एव हि) अपने सेवकों आदि के खा लेने पर (ततः पश्चात्) उसके बाद (अवशिष्टम् तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भुञ्जीयाताम्) पति-पत्नी खायें ॥ ११६ ॥

देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितॄन्गृह्याश्च देवताः ।
पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थः शेषभुग्भवेत् ॥ ११७ ॥ (८१)

(देवान्) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन्) विद्या के प्रत्यक्ष-कर्त्ता मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्यान्) साधारण मनुष्यों को (च) और (पितॄन्) जीवित माता-पिता आदि पालक व्यक्तियों को (च) तथा (गृह्याः देवताः) ईश्वरीय दिव्यगुणों [३।८४—९०] के चिन्तनपूर्वक यज्ञ में आहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले असहाय, अनाथ, कुष्ठी, भृत्य [३।९१—९२] आदि को (पूजयित्वा) भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकालकर (गृहस्थः) गृहस्थ (ततः पश्चात्) उसके बाद (शेषभुक् भवेत्) इनसे शेष बचे भोजन को खाने वाला हो अर्थात् उस शेष भोजन को खाया करे ॥ ११७ ॥ ❀

❀[**प्रचलित अर्थ**—देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, गृहस्थित शालिग्राम आदि प्रतिमाओं की पूजा (देवर्षिपितृतर्पण, अतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर गृहस्थ शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे ॥ ११७ ॥]

अनुशीलन : गृह्यदेवता – (१) यहां 'गृह्यदेवता' से अभिप्राय श्लोक ३ । ८४—९१ में वर्णित ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण-आहुतिपूर्वक गृहस्थ के आश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला जाता है। इसी अभिप्राय को मनु ने "**भूतानि बलिकर्मणा**" [३ । ८१] पदों से तथा ३ । ७२ में 'भृत्यानाम्' पद से स्पष्ट किया है।

(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत अर्थज्ञान के लिए ३ । ८२ की समीक्षा तथा भूमिका देखिए।

अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ (८२)

(यः केवलम् आत्मकारणात् पचति) जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए ही भोजन पकाता है (सः) वह (अघं भुङ्क्ते) केवल पाप को खाता है अर्थात् इस प्रवृत्ति से स्वार्थ आदि की पाप भावना ही बढ़ती है (हि) क्योंकि (एतत्) यह उपर्युक्त [११७] (यज्ञशिष्ट+अशनम्) यज्ञों से शेष भोजन ही (सताम्+अन्नं विधीयते) सज्जनों का अन्न माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत्पुरुषों का भोजन है ॥ ११८ ॥

गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान—

विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः ।
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम् ॥ २८५ ॥ (८३)

गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विघसाशी भवेत्) प्रतिदिन 'विघस' भोजन को खाने वाला होवे (वा) अथवा (अमृतभोजनः) 'अमृत' भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तशेषं तु 'विघसः') अतिथि, मित्रों आदि सभी व्यक्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को 'विघस' कहा जाता है [३ । ११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम् 'अमृतम्') यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा भोजन 'अमृत' कहलाता है। [३ । ११७-११८] ॥ २८५ ॥

अनुशीलन : **यज्ञशेष और शेषभुक् भोजन में अन्तर**—यज्ञशेष और भुक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह है कि 'भुक्तशेष' अन्न मीठे और लवण से युक्त कोई भी भोजन हो सकता है किन्तु 'यज्ञशेष' भोजन लवणरहित ही होता है। लवणयुक्त पक्वान्न की आहुति अग्निहोत्र में नहीं डाली जाती। यज्ञ में लवणयुक्त भोजन का मनु ने निषेध किया है [६ । १२]। गृहस्थ लवणयुक्त भोजन को बलिभाग निकालने पर और अतिथियों आदि के खाने के पश्चात् खाये। यही भुक्तशेष है। यही विघस है। यज्ञाहुति से अवशिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष और अमृत है।

उपसंहार—

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥(८४)

(एतत् वः) यह तुम्हें (सर्वं पाञ्चयज्ञिकं विधानम् अभिहितम्) सम्पूर्ण पञ्चयज्ञसम्बन्धी विधान कहा है । अब आगे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयताम्) द्विजातियों की मुख्य आजीविका और जीवनचर्या के विधान को सुनो—॥ २८६ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च विशुद्ध मनुस्मृतौ गृहस्थाश्रमे
समावर्तनविवाह-पञ्चयज्ञविधानात्मकस्तृतीयोऽध्यायः ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य-'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

[गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं व्रत विषय]

[आजीविका ४ । १ से ४ । ५ तक]

आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽद्यं गुरौ द्विजः ।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥ (१)

(द्विजः) द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (आद्यम्) पहले (आयुषः चतुर्थं भागम्) आयु के चौथाई भाग तक [कम से कम पच्चीस वर्ष पर्यन्त] (गुरौ उषित्वा) गुरु के समीप रहकर अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन और ब्रह्मचर्यपालन करके (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग में (कृत-दारः) विवाह करके (गृहे वसेत्) घर में निवास करे ॥ १ ॥

अनुशीलन : विवाह की आयु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३ । ४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है ।

गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो—

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ (२)

(विप्रः) द्विज व्यक्ति (अनापदि) आपत्तिरहितकाल में (भूतानाम् अद्रोहेण+एव) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे (वा) अथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (अल्पद्रोहेण) जिसमें प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो ऐसी (या वृत्तिः) जो वृत्ति=आजीविका हो (तां समास्थाय जीवेत्) उसको अपनाकर जीवननिर्वाह करे ॥ २ ॥

धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो—

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः ।
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥ (३)

(स्वैः अगर्हितैः कर्मभिः) अपने अनिन्दित कर्मों से

(शरीरस्य अक्लेशेन) शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए (यात्रामात्र-प्रसिद्धयर्थम्) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [अर्थात् जिससे जीवन कष्टरहित रूप में चलता-रहे और उसमें अधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो] (धन-संचयं कुर्वीत) धन का संचय करे ॥ ३ ॥

शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो—

न लोकवृत्तं वर्त्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन।
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥ (४)

गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये भी (लोकवृत्तं न वर्तेत) कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न वर्त्ते, किन्तु जिसमें (अजिह्माम्+अशठां शुद्धाम्) किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो (ब्राह्मणजीविकां जीवेत्) उस वेदोक्त कर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ ११ ॥ (सं० वि० १५१)

सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष दुःख का—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्।
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ (५)

(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्तोषम् आस्थाय) अत्यन्त संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्) संयत=अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने (हि) क्योंकि (संतोषमूलं सुखम्) संतोष सुख का आधार है (विपर्ययः) उससे उलटा अर्थात् असंतोष (दुःखमूलम्) दुःख का आधार है ॥ १२ ॥

(स्नातक गृहस्थियों के व्रत) [४ । ६ से ४ । ६० तक]

गृहस्थों के लिए सतोगुणवर्धक व्रत—

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः।
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥ (६)

(अतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहस्थी द्विज (अन्यतमया) निर्धारित [१ । ८७–९१] वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ (वृत्त्या) आजीविका से (जीवन्) जीवननिर्वाह करते हुए (स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्) सुख, आयु और यश देने वाले इन व्रतों को धारण करे—॥ १३ ॥

अनुशीलन : मनु स्वर्ग को सुख का पर्यायवाची मानते हैं। द्रष्टव्य ३। ७९ पर समीक्षा।

गृहस्थों के लिये सतोगुणवर्धक व्रत—

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः।
तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १४ ॥ (७)

ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अपने कर्म को (अतन्द्रितः नित्यं कुर्यात्) आलस्य छोड़के नित्य किया करें (तत् हि यथाशक्ति कुर्वन्) उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए (परमां गतिं प्राप्नोति) मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ १४ ॥ (सं० वि० १७७)

अधर्म से धनसंग्रह न करें—

नेहेतार्थान्प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा।
न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ (८)

गृहस्थ (प्रसंगेन अर्थान् न ईहेत) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य-संचित न करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरुद्ध कर्म से (न विद्यमानेषु+अर्थेषु यतस्ततः) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखके अथवा दूसरे से छल करके और (न+आर्त्याम्+अपि) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्यसंचय कभी न करे ॥ १५ ॥ (सं० वि० १७७)

इन्द्रियासक्ति-निषेध—

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः।
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥ (९)

(सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम् अतिप्रसक्तिम्) विषयों की अत्यन्त प्रसक्ति अर्थात् प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्) मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ १६ ॥ (सं० वि० १७७)

स्वाध्याय से कृतकृत्यता—

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः।
यथातथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ (१०)

(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान् अर्थान् परित्यजेत्) जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देवे (यथा तथा अध्यापयन् तु) जिस किसी प्रकार से विद्या का पढ़ाते रहना ही (सा हि

अस्य कृतकृत्यता) गृहस्थ का कृतकृत्य होना है ॥ १७ ॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए २ । ८२ [२ । १०७] पर अनुशीलन।

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १९ ॥ (११)

हे स्त्रीपुरुषो ! तुम (धन्यानि आशु बुद्धिवृद्धिकराणि च हितानि शास्त्राणि) जो धर्म-धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ाने हारे हित-कारी शास्त्र हैं उनको (च) और (वैदिकान् निगमान्) वेद के भागों की विद्याओं को (नित्यम् अवेक्षेत) नित्य देखा करो ॥ १९ ॥ (सं० वि० १७८)

"जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुनें और सुनावें, ब्रह्मचर्याश्रम में जो पढ़े हों उनको स्त्री-पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें।" (स० प्र० ९८)

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥ (१२)

(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्रं समधिगच्छति) जैसे-जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है (तथा-तथा विजानाति) वैसे-वैसे अधिक जानता जाता है (च) और (अस्य विज्ञानं रोचते) इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ २० ॥ (सं० वि० १७८)

"क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे-वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़ती रहती है।" (स० प्र० ९८)

पंचयज्ञों के पालन का निर्देश—

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥ (१३)

(ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नृयज्ञं च पितृयज्ञम्) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ और पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न हापयेत्) सदा ही जहां तक हो कभी न छोड़े ॥ २१ ॥

अग्निहोत्र का विधान—

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।
दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥ (१४)

गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यु-निशोः आद्यन्ते) रात-दिन के आदि और अंत में अर्थात् सायं प्रातः दो वेलाओं में (अग्निहोत्रं) अग्निहोत्र (जुहु-

यात्) (च) और (अर्धमासान्ते दर्शेन) आधे मास के अन्त में दर्शयज्ञ अर्थात् अमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौर्णमासेन) इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥

अनुशीलन : "अल्पाच्तरम्" [अष्टा॰ २।२।३४] सूत्र के नियम से 'द्यु निशे' पद में 'द्यु' पूर्वपठित है। अर्थ में 'सायं-प्रातः' ग्रहण होगा। द्र॰ २.१८६ श्लोक।

अतिथिसत्कार का विधान—

आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वा।
नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥२९॥ (१५)

(अस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (कश्चित् अतिथिः) कोई भी अतिथि (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (आसन+अशन शय्याभिः) आसन, भोजन, बिछौना आदि से (वा) अथवा (अद्भिः-मूल-फलेन) जल, कन्दमूल और फल आदि से (अनर्चितः न वसेत्) बिना सत्कार किये न रहे अर्थात् यथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २९ ॥

सत्कार के अयोग्य व्यक्ति—

पाखण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्।
हैतुकान्बकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥(१६)

(पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकर्मस्थान्) वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले (बैडालव्रतिकान्) बिडालवृत्ति वाले [४। १९५] (शठान्) हठी (हैतुकान्) बकवादी (च) और (बकवृत्तीन्) बगुलाभक्त मनुष्यों का [४। १९६] (वाङ्मात्रेण+अपि न अर्चयेत्) वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए ॥ ३० ॥ (पू॰ प्र॰ १४३)

"किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद और धर्म को न मानें अधर्माचरण करने हारे हिंसक, शठ मिथ्याभिमानी, कुतर्की और बकवृत्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान अतिथि वेषधारी बनके आवें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे।" (सं॰ वि॰ १५०)

'(पाखंडी) अर्थात् वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करने हारे (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे बिड़ाल छिप और स्थिर रहकर ताकता-ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडालवृत्ति (शठ) अर्थात् हठी, दुराग्रही, अभिमानी आप जाने नहीं, औरों का कहा माने नहीं (हैतुक)

कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा, ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और खाखी आदि हठी दुराग्रही, वेदविरोधी हैं; ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए।'' (स० प्र० १०३)

सत्कार के योग्य व्यक्ति—

वेदविद्याव्रतस्नाताञ्छ्रोत्रियान्गृहमेधिनः ।
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥ (१७)

(वेदविद्याव्रतस्नातान्) वेदों के विद्वान्, ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान् गृहमेधिनः) वेद-पाठी=वेदज्ञाता गृहस्थियों का (हव्यकव्येन) भोज्य पदार्थों और वस्त्रदान आदि से (पूजयेत्) सत्कार करे (विपरीतान् च वर्जयेत्) और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें छोड़दे ॥ ३१ ॥

अनुशीलन : **हव्य-कव्य शब्दों का विवेचन**—हव्य-कव्य के सम्बन्ध में परवर्त्ती टीकाकारों—भाष्यकारों को पर्याप्त भ्रान्ति रही है। वे परवर्त्ती पौराणिक रूढ़ार्थों के आधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध आदि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका अर्थ मृतकश्राद्ध आदि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध को मानते ही नहीं। यह इस श्लोक से भी सिद्ध है। यहां स्पष्टतः जीवित विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन कर रहे हैं [अन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं ३। ८१-८२ और ३।२८४ की समीक्षा में] मनुस्मृति में इनके धात्वनुसारी अर्थ हैं—

(क) **'हु दानादानयोः'** (जुहो०) धातु से 'यत्' प्रत्यय के योग से हव्य शब्द बनता है। यज्ञप्रसंग में हव्य का अर्थ हवींषि=आहुतियां [निरु० ८।७] होता है, किन्तु व्यवहार में **'हव्यम्=अत्तव्यम् द्रव्यम्' 'दातव्यं दानादिकं वा'**=धार्मिक विद्वानों [४।३०-३१] को भोज्य पदार्थों का भोजन आदि का दान 'हव्य' कहलाता है।

(ख) कव्य शब्द 'कवि' प्रातिपदिक से साध्वर्थ या हितार्थ में 'यत्' के योग से बनता है। कवि शब्द का अर्थ भी क्रान्तदर्शी=सूक्ष्मद्रष्टा विद्वान् होता है [द्रष्टव्य २।१२६ (२।१५१) पर अनुशीलन]। **'कवयः=क्रान्तप्रज्ञाश्च विद्वांसः, तेभ्यो हितानि कर्माणि कव्यानि''** [ऋ० द० यजु० २।२९]। **'कव्यः=हितार्थ प्रदत्तं द्रव्यम्'**=विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले धन, वस्त्र आदि दान 'कव्य' कहलाते हैं।

(ग) किन्तु जहां 'हव्य-कव्य' का युग्म शब्द के रूप में प्रयोग होता है

इसका समन्वित और विस्तृत अर्थ होता है—'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ।'

भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान—

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।
संविभागश्च भूतेभ्यः कर्त्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ (१८)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को (शक्तितः+अपचमानेभ्यः) अपने हाथ से जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि को (दातव्यम्) अन्न देना चाहिए (च) और (अनुपरोधतः) जिससे परिवार के भरण-पोषण में बाधा न पड़े इस प्रकार (भूतेभ्यः संविभागः कर्त्तव्यः) प्राणियों—असहाय, विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिये भोजन का भाग भी निकालना चाहिए ॥ ३२ ॥

स्वाध्याय में तत्पर रहना—

क्लृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।
स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥ (१९)

(क्लृप्त-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे (दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बरः) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शुचिः) शुद्धता रखे (च) और (नित्यं स्वाध्याये च आत्महितेषु युक्तः स्यात्) प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे ॥ ३५ ॥

रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि—

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्त्तवदर्शने ।
समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥ (२०)

(प्रमत्तः+अपि) कामातुर होता हुआ भी (आर्तवदर्शने) मासिक धर्म के दिनों में (स्त्रियं न+उपगच्छेत्) स्त्री से सम्भोग न करे (च) और (तया सह समानशयने न शयीत) उसके साथ एक बिस्तर पर न सोये ॥ ४० ॥

रजसाऽभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ (२१)

(हि) क्योंकि (रजसा+अभिप्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उपगच्छतः नरस्य) पास जाने वाले=संभोग करने वाले मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च आयुः एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु, ये सब घटते हैं ॥ ४१ ॥

रजस्वलागमन-त्याग से लाभ—

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम् ।
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ (२२)

(रजसा समभिप्लुतां तां विवर्जयत:) रज निकलती हुई अर्थात् उस रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्य) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेज: बलं चक्षु: च आयु: एव प्रवर्धंते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु ये सब बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥

सवारी किन पशुओं से न करे या करे—

नाविनीतैर्व्रजेद्धुर्यैर्न च क्षुद्व्याधिपीडितैः ।
न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैर्न वालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ (२३)

(अविनीतै:) बिना सिखाये हुए (क्षुद्-व्याधि-पीडितै:) भूख और रोग से पीड़ित (भिन्न-शृंग-अक्षि-खुरै:) जिनके सींग, नेत्र और खुर टूट गये हैं (वाल+अधिविरूपितै:) जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ऐसे (धुर्यै: न व्रजेत्) जूए में जुतने वाले, घोड़े, बैल आदि पशुओं पर चढ़कर न जाये ॥ ६७ ॥

विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः ।
वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥ (२४)

(विनीतै:) सिखाये हुए (लक्षण+अन्वितै:) सुन्दर लक्षणों से युक्त (वर्ण-रूप+उपसंपन्नै:) सुन्दर रंग-रूप से युक्त (आशुगै:) शीघ्रगामी पशुओं से (प्रतोदेन भृशम् अतुदन्) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता हुआ (व्रजेत्) सवारी करे ॥ ६८ ॥

दुष्टों का संग न करे—

न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः ।
न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ (२५)

सज्जनगृहस्थ लोगों को योग्य है कि (न पतितै:, न अन्त्यै:, न चांडालै:, न पुल्कसै:) जो पतित, दुष्टकर्म करने हारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर (न मूर्खै: अवलिप्तै: च न अन्त्य+अवसायिभि: संवसेत्) न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी, और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥ ७९ ॥ (सं० वि० १७८)

ब्राह्ममुहूर्त्त में जागरण—

ब्राह्मे मुहूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥ (२६)

(ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत) रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे (धर्मार्थौ) आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ (कायक्लेशान् च तन्मूलान्) शरीर के रोगों और उनके कारणों को (च) और (वेदातत्त्वार्थम्+एव अनुचिन्तयेत्) परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे ॥ ९२ ॥ (स० प्र० १०४)

संध्योपासन आदि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति—

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः।
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥ (२७)

(उत्थाय) उठकर (आवश्यकं कृत्वा) दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य सम्पन्न करके (कृतशौचः) स्नान आदि से स्वच्छ-पवित्र होकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (पूर्वां संध्यां जपन् चिरं तिष्ठेत्) प्रातः कालीन संध्योपासना करता हुआ देर तक बैठे (च) और (स्वकाले) उपयुक्त समय पर (अपराम्) सायंकालीन संध्या में भी चिरकाल तक उपासना करे ॥९३॥

ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाप्नुयुः।
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥ (२८)

(ऋषयः) मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीर्घसंध्यत्वात्) देर तक संध्योपासना करने के कारण (दीर्घम्+आयुः, प्रज्ञां, यशः, कीर्तिं, च ब्रह्मवर्चसम् अवाप्नुयुः) लम्बी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है ॥ ९४ ॥

अनुशीलन : दीर्घसन्ध्या से दीर्घ-आयु आदि की प्राप्ति—(१) गायत्री आदि वेदमन्त्रों का जप संध्या है [२।७९ (१०४)] और यह नैत्यिक यज्ञों एवं स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से आयु, तेज-बल आदि की प्राप्ति २।८२ (१९७) में भी वर्णित है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है।

(२) गायत्री आदि वेदमन्त्रों के मननपूर्वक दीर्घसन्ध्या=उपासना एवं ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्रों के अनुसार आचरण से आयु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठआचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र पूर्वक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बढ़ता है। मनुष्य वेद और ईश्वर के ज्ञान में समर्थ होता जाता है [२।५३ (७८)]। इस प्रकार दीर्घ सन्ध्या से श्लोकोक्त लाभ मिलते हैं।

(३) 'सन्ध्या' शब्द का अर्थ २।७७-७९ [१०३-१०५] श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिए।

स्त्रीगमन में पर्वदिनों का त्याग करे—

अमावस्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥(२६)

(स्नातक: द्विज:) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि वह (ऋतौ अपि) ऋतु-काल होते हुए भी (अमावस्याम्+अष्टमीं पौर्णमासीं च चतुर्दशीम्) अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन (ब्रह्मचारी भवेत्) ब्रह्मचारी रहे ॥ १२८ ॥

"जब ऋतुदान देना हो तब पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान १६ दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उस को छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करें।"

(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण।)

अनुशीलन : तुलनार्थ द्रष्टव्य है ३। ४५ श्लोक। वहाँ भी मनु ने पर्व दिनों में ऋतुदान का निषेध किया है।

परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति—

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः।
अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥ (३०)

गृहस्थ द्विज (वैरिणम्) शत्रु (च) और (वैरिणः सहायं) शत्रु के सहायक (अधार्मिकं तस्करं च परस्य योषितम्) अधार्मिक, चोर, पराई स्त्री से (न सेवेत) मेलजोल न रखे अर्थात् परस्त्री-गमन न करे ॥ १३३ ॥

परस्त्री-सेवन से हानियाँ—

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते।
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥ (३१)

गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्य अनायुष्यं ईदृशं किञ्चन न हि विद्यते) पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है (यादृशम्) जैसा कि (परदारा-उपसेवनम्) परस्त्रीगमन करना है ॥१३४॥

आत्महीनता की भावना मन में न लाये—

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ १३७ ॥ (३२)

गृहस्थ द्विज कभी (पूर्वाभिः+असमृद्धिभिः) प्रथम पुष्कल धनी होके पश्चात् दरिद्र हो जायें, उससे (आत्मानं न+अवमन्येत) अपने आत्मा का अपमान न करे कि 'हाय हम निर्धन हो गये' इत्यादि विलाप भी न करे, किन्तु (आमृत्योः) मृत्युपर्यन्त (श्रियम्+अन्विच्छेत्) लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें, और (एनां दुर्लभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें ॥ १३७ ॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : अभिप्राय यह है कि धन आदि के अभाव की स्थिति आने पर या आपत्तिकाल में मनुष्य को कभी अपने मन में आत्महीनता, निराशा, हताशा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि और उन्नति का आधार है।

सत्य तथा प्रियभाषण करे—

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥ (३३)

(सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले (अप्रियं सत्यं न ब्रूयात्) अप्रिय सत्य अर्थात् काणे को काणा न बोले (अनृतं च प्रियं न ब्रूयात्) अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १३८ ॥ (सं० प्र० ९७)

❀ (एषः सनातनः धर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं० वि० १७८)

"मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणकारक उपदेश कर, काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोले और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोले यह सनातन धर्म है ॥" (स० वि० १७८)

भद्र व्यवहार करे—

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १३९ ॥ (३४)

(भद्रं भद्रम्+इति ब्रूयात्) सदा भद्र अर्थात् सबके हितकारी वचन बोला करे (शुष्कवैरं विवादं च केनचित् सह न कुर्यात्) शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्रम्+इत्येव वा वदेत्) जो-जो दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ॥ १३९ ॥ (स० प्र० ९७)

हीन, विकलांग आदि पर व्यंग्य न करे—

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान् ।
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥ (३५)

(हीन+अङ्गान्) कम अंगों वालों या अपंगों पर (अतिरिक्त+अङ्गान्) अधिक अंगों वालों पर (विद्याहीनान्) मूर्खों (वयः+अधिकान्) आयु में बड़े (च)

और (रूप-द्रव्य-विहीनान्) रूप और धन से रहित (च) और (जातिहीनान्) अपने से निम्न वर्ण वाले इन पर (न आक्षिपेत्) कभी आक्षेप [=व्यंग्य या मजाक] न करे ॥ १४१ ॥

कल्याणकारी यज्ञ-संध्या आदि कार्य करे—

मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ।
जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥(३६)

(मंगल+आचार+युक्तः) कल्याणकारी कार्यों में लगा रहने वाला या श्रेष्ठ आचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय (स्यात्) रहे (च) और (नित्यम्) प्रतिदिन (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (जपेत्) जपोपासना करे (च एव) तथा (अग्निं जुहुयात्) अग्नि में हवन करे ॥ १४५ ॥

यज्ञ-संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ—

मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् ।
जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥ (३७)

(मंगल+आचार+युक्तानाम्) जो सदाकल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं अथवा जो श्रेष्ठ आचारण का पालन करते हैं (च) और (नित्यं प्रयतात्मनाम्) जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) तथा (जपताम्) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुह्वताम्) जो हवन करते हैं, उनकी (विनिपातः) अवनति (न विद्यते) नहीं होती अर्थात् उनका जीवन पतन की ओर नहीं जाता ॥ १४६ ॥

वेदाभ्यास परमधर्म है—

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।
तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ (३८)

द्विज (नित्यम्) सदा (यथाकालम्) जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (वेदम्+एव+अभ्यसेत्) वेद का ही अभ्यास करे (हि) क्योंकि (तम् अस्य परं धर्मम् आहुः) उस वेदाभ्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्त्तव्य कहा है (अन्यः उपधर्मः उच्यते) अन्य सब कर्त्तव्य गौण हैं ॥ १४७ ॥

वेदाभ्यास का कथन और उसका फल—

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च ।

अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥१४८॥ (३९)

मनुष्य (सततं वेदाभ्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (शौचेन) आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या से (च) और (भूतानाम् अद्रोहेण) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए अर्थात् अहिंसाभावना रखते हुए (पौर्विकीं जातिं स्मरति) पूर्वजन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है ॥ १४८ ॥

अनुशीलन : योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि—योगदर्शनकार ने भी इस मान्यता को २।३९ सूत्र में वर्णित किया है। मनु ने वेदाभ्यास, अहिंसा, शौच = अशुद्धिभाव से असंसर्ग, आदि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है। इसी प्रकार योगदर्शन में भी है—

"अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंता संबोधः ॥"

अपरिग्रह में अहिंसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में अनासक्ति आदि बातें होती हैं। इन अपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से भूत-भावी-वर्तमान जन्मों एवं जन्मकारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

पौर्विकीं संस्मरञ्जातिं ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः ।
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ १४९ ॥ (४०)

(पौर्विकीं जातिं संस्मरन्) पूर्वजन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए (पुनः ब्रह्म+एव+अभ्यसते) फिर भी यदि वेद के अभ्यास में लगा रहता है तो (अजस्रं ब्रह्माभ्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (अनन्तं सुखम्+अश्नुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४९ ॥

अनुशीलन : इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १२।१०२ श्लोक।

वृद्धों का अभिवादन एवं स्वागत—

अभिवादयेद् वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम् ।
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥१५४॥ (४१)

(वृद्धान्) सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को (अभिवादयेत्) नमस्ते अर्थात् उनका मान्य किया करे (स्वकम् आसनं च एव दद्यात्) जब वे अपने समीप आवें तब उठकर, मान्यपूर्वक अपने आसन पर बैठावे (च) और (कृत+अञ्जलिः+उपासीत) हाथ जोड़के आप समीप बैठे, पूछे वह उत्तर देवे (गच्छतः पृष्ठतः+अन्वियात्) और जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे-पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे ॥ १५४ ॥ (सं० वि० १७९)

सदाचार की प्रशंसा एवं फल—

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु।
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ (४२)

गृहस्थ सदा (अतन्द्रितः) आलस्य को छोड़कर (श्रुति-स्मृति+उदितम्) वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए (स्वेषु कर्मसु सम्यङ् निबद्धम्) अपने कर्मों में निबद्ध (धर्ममूलं सदाचारं निषेवेत) धर्म का मूल सदाचार अर्थात् जो सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करें ॥ १५५ ॥ (सं० वि० १७६)

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः।
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१५६॥(४३)

(आचारात् हि आयुः) धर्माचरण से दीर्घायु (आचारात्+ईप्सिताः प्रजाः) आचार से उत्तम सन्तान (आचारात् अक्षय्यं धनम्) आचार से अक्षय धन (लभते) प्राप्त होता है (आचारः अलक्षणं हन्ति) धर्माचरण बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १५६ ॥

"धर्माचरण ही से दीर्घायु, उतम प्रजा और अक्षय धन मनुष्य को प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है।" (सं० वि० १७६)

"इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे।" (स० प्र० १०७)

दुराचार से हानि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥(४४)

(दुराचारः हि पुरुषः) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः) संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त (दुःखभागी) दुःखभागी (च) और (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (अल्पायुः+एव भवति) अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ॥ १५७ ॥ (स० प्र० १०८)

"और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है।" (सं० वि० १७६)

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।
श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ (४५)

(यः) जो (सर्वलक्षणहीनः+अपि सदाचारवान्) सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रद्दधानः) सत्य में श्रद्धा (च) और (अनसूयः) निन्दा आदि दोषरहित होता है (शतं वर्षाणि जीवति) वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १५८ ॥ (सं० वि० १७६)

परवश कर्मों का त्याग—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥ (४६)

मनुष्य (यत्-यत् परवशं कर्म) जो पराधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नेन वर्जयेत्) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़े (तु) और (यत्-यत् आत्मवशं स्यात्) जो-जो स्वाधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५९ ॥ (सं० वि० १७६)

"जो-जो पराधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जो स्वाधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे ।" (स० प्र० १०८)

सुख-दुःख का लक्षण—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ (४७)

क्योंकि (परवशं सर्वं दुःखम्) जितना परवश होना है वह सब दुःख, और (आत्मवशं सर्वं सुखम्) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है (एतत् समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं विद्यात्) यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६० ॥ (सं० वि० १८०)

"क्योंकि जो-जो पराधीनता है वह-वह सब दुःख और जो-जो स्वाधीनता है वह-वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिए ।" (स० प्र० १०८)

आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करे—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१ ॥ (४८)

(यत् कर्म कुर्वतः) जिस कर्म के करने से (अस्य अन्तरात्मनः परितोषः स्यात्) मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो

अर्थात् भय, शंका, लज्जा का अनुभव न हो (तत्-तत् प्रयत्नेन कुर्वीत) उस-उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करे (विपरीतं तु वर्जयेत्) जिससे संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो उस कर्म को न करे ॥ १६१ ॥

अनुशीलन : आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १ । १२५ [२ । ६] पर 'आत्मनस्तुष्टि' शीर्षक अनुशीलन देखिए ।

माता-पिता-आचार्यादि की हिंसा न करे—

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।
न हिंस्याद् ब्राह्मणान्गाश्च सर्वांश्चैव तपस्विनः ॥१६२॥(४६)

(आचार्यं प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं ब्राह्मणान् गाः च सर्वान् तपस्विनः) वेद को पढ़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गाय और सभी तपस्वी इनको (न हिंस्यात्) प्रताड़ित न करे अर्थात् इनके प्रतिकूल आचरण न करे ॥ १६२ ॥

नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध कर्म—

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।
द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥१६३॥ (५०)

(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्) नास्तिकता, वेद की निन्दा और विद्वानों की निन्दा (द्वेषं दम्भं मानं क्रोधं च तैक्ष्ण्यं वर्जयेत्) द्वेष, पाखण्ड, अभिमान, क्रोध, उग्रता=तेजी, इनको छोड़देवे ॥ १६३ ॥

शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करे—

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्रुद्धो नैव निपातयेत् ।
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थं ताडयेत्तु तौ ॥१६४॥ (५१)

(पुत्रात् वा शिष्यात् अन्यत्र) पुत्र और शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं न+उद्यच्छेत्) अन्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये अर्थात् दण्डे से न मारे (क्रुद्धः एव न निपातयेत्) और क्रोधित होकर भी किसी को न मारे, वध न करे, (तौ तु शिष्ट्यर्थं ताडयेत्) उन पुत्र और शिष्य को भी केवल शिक्षा देने के लिये ही ताड़ना करे ॥ १६४ ॥

"परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें" ।

(स० प्र० द्वितीय समु०)

अधर्म-निन्दा एवं अधर्म से दुःखप्राप्ति—

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ (५२)

(यः अधार्मिकः नरः) जो अधार्मिक मनुष्य है (च) और (यस्य हि अनृतं धनम्) जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है (च) और (यः नित्यं हिंसारतः) जो सदा हिंसा में अर्थात् वैर में प्रवृत्त रहता है (असौ) वह (इह) इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में (सुखं न एधते) सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७० ॥ (सं० वि० १८०)

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥ (५३)

(अधार्मिकाणां पापानां आशु विपर्ययम्) अधार्मिक पापियों का [१७४ में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति और समृद्धि हो गई है तो भी] शीघ्र ही उलटा विनाश होता है, (पश्यन्) यह समझते हुए (धर्मेण सीदन्+अपि) धर्माचरण से कष्ट उठाता हुआ भी (अधर्मे मनः न निवेशयेत्) अधर्म में मन को न लगावे अर्थात् धर्म का ही पालन करता रहे ॥ १७१ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।
शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १७२ ॥ (५४)

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौः+इव) जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता वैसे ही (चरितः अधर्मः सद्यः न फलति) किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता (तु) किन्तु (शनैः कर्तुः आवर्त्तमानः) धीरे-धीरे अधर्मकर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलों को काट देता है पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १७२ ॥ (सं० वि० १८०)

"किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है, उसी समय फल भी नहीं होता; इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है।" (स० प्र० १०४)

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।
न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ (५५)

(यदि न+आत्मनि) यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में

न हो तो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत् नप्तृषु) यदि पुत्रों के समय में न हो तो नातियों=पोतों के समय में अवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न एव तु) यह कभी नहीं हो सकता कि (कर्त्तु: अधर्मः निष्फलः भवति) कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥ १७३ ॥ (सं० वि० १८०)

अनुशीलन : कर्मफल का भोक्ता कौन ? ४। २४० में कर्त्ता को ही सुकृत-दुष्कृत का भोक्ता माना है जबकि यहाँ किये हुए अधर्म का फल पुत्र-पौत्रों तक प्राप्त होना कहा। इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत है। किन्तु इनमें परस्पर विरोध नहीं है। वहां व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में ही भोक्ता माना है, जबकि यहाँ प्रसंग अधर्म पूर्वक भोगों के संग्रह का है [४।१७०—१७४]। व्यक्ति हिंसा, अधर्म आदि से [४।१७०] यदि धनसंग्रह करता है और वह एकाएक समृद्ध होता हुआ भी दृष्टिगत होता है, किन्तु अन्ततः समूल विनाश के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४।१७०]। अधर्म, हिंसा आदि से प्राप्त किये धन-भोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी उस अधर्म में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हिंसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५।५१ में देखिए। वहां हिंसा में किसी भी प्रकार भाग लेने वाले प्रत्येक आठ प्रकार के व्यक्तियों को अधर्मी=पापी माना है। इसी प्रकार सभी अधर्मों के कामों में समझना चाहिए। जब वह अधर्मी है तो उसके दुःखरूप फल का भी भागी होगा। किन्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है। [४।२४०]। सब अपने-अपने फल भोक्ता स्वयं होते हैं।

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति।
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ (५६)

(तावत् अधर्मेण+एधते) जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) पश्चात् (भद्राणि पश्यति) धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्नान् जयति) अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है (ततः) पश्चात् (समूलः तु विनश्यति) शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥ १७४ ॥ (स० प्र० १०४)

अनुशीलन : अधर्म दुःख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६। ६४ श्लोक द्रष्टव्य है।

सत्यधर्म का पालन करे —

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥ (५७)

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधर्म+आर्य-वृत्तेषु) सत्यधर्म और आर्य अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों (च) और (शौचे) भीतर-बाहर की पवित्रता में (सदा आरमेत्) सदा रमण करें (वाक्+बाहु+उदर+संयतः च धर्मेण) अपनी वाणी, बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्त्तमान रखके (शिष्यान्-शिष्यात्) शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ १७५ ॥ (सं० वि० १८०)

"जो वेदोक्त सत्यधर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्यायरूप, वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करें ।" (स० प्र० १०४)

"सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच=पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी भोजनादि के लोभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ।" (सं० वि० १५१)

धर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग—

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।
धर्मं चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ (५८)

(अर्थकामौ यौ धर्मवर्जितौ स्यातां परित्यजेत्) यदि बहुत-सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ देवें (च) और (धर्मम् अपि+असुखोदर्कम्) वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तरकाल में दुःख (च) और (लोकविक्रुष्टम् एव) संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ १७६ ॥ (सं० वि० १५१)

"जो धर्म से वर्जित धनादिपदार्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़देवे और जो धर्माभास अर्थात् उत्तरकाल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहें ।" (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : (१) श्लोक में उक्त बातों को उदाहरणपूर्वक स्पष्ट किया जाता है—

(क) **धर्मवर्जित अर्थ**=जैसे—चोरी, डकैती, छल-कपट, हिंसा आदि से प्राप्त धन। ऐसा धन धर्मवर्जित है [द्रष्टव्य ४।२, ३, ११, १५ ॥ ८। ३०-३६]।

(ख) **धर्मवर्जितकाम**=जैसे—अतिविषयासक्ति [४।१६], परस्त्रीगमन [४।१३३—१३४], बाल्यकाल में विवाह [३।१—४], पर्वदिनों में या ऋतुकाल के बिना स्त्रीसमागम [३।४५।४।१२८] विधिरहित नियोग [९।५९—६३] आदि कार्य धर्मविरुद्ध कामभावना के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) **उत्तरकाल में असुखकारक धर्म**= जैसे— स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वस्व दान कर देना या अतितपस्या से शरीर को क्षीण करना [२।७५ (२।१००)] आदि बातें धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है।

(घ) **लोकविक्रुष्ट धर्म**= काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना; आदि बातें सत्य होते हुए भी लोकनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है—'सत्य बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले' [४।१३८]। अप्रिय बातें नहीं कहनी चाहिए' [४।१४१]।

(२) **धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप**— धर्म, अर्थ, काम के स्वरूप को समझने के लिए ७।२६ की समीक्षा देखिए।

चपलता का त्याग—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः।
न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः॥ १७७॥ (५९)

(पाणि-पाद-चपलः न) हाथ-पैरों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र-चपलः न) आंखों से चंचलतायुक्त काम न करे (अनृजुः) कुटिलता न करे (वाक्-चपलः एव न) वाणी से चपलता न करे (च) और (परद्रोह-कर्मधीः न स्यात्) दूसरों की हानि या द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न बने॥ १७७॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः।
तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते॥ १७८॥(६०)

(येन+अस्य पितरः) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहाः याताः) पितामह चले हों (तेन यायात्) उस मार्ग में सन्तान भी चले, परन्तु (सतां मार्गम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता-पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें (तेन गच्छन् न रिष्यते) क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता॥ १७८॥

विवाद न करने योग्य व्यक्ति—

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ १७९ ॥ (६१)
मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥ (६२)

"(ऋत्विक्) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन का शिक्षाकारक (आचार्य) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (अतिथि) अर्थात् जिसकी कोई आने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बुड्ढे (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्रस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) श्वसुर आदि (बान्धव) मित्र (माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहित्रा) पुत्री ॐ (दासवर्गेण) और सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्) विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें ॥ १७९, १८० ॥
(स० प्र० १०४—१०५)

प्रतिग्रह का लालच न रखे—

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ।
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥ (६३)

ब्राह्मण (प्रतिग्रहः समर्थः+अपि) दान लेने का अधिकारी होते हुए भी (तत्र प्रसंगं वर्जयेत्) दान-प्राप्ति में आसक्तिभाव अर्थात् उसीसे धनसंग्रह का लालच रखने की भावना को छोड़ देवे (हि) क्योंकि (प्रतिग्रहेण) दान लेने में आसक्ति रखने से (अस्य ब्राह्मं तेजः) इसका ब्राह्मतेज (आशु-प्रशाम्यति) शीघ्र शान्त होने लगता है ॥ १८६ ॥

प्रतिग्रह की विधियाँ—

न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ (६४)

(प्राज्ञः) बुद्धिमान् ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धर्म्यं विधिम् अविज्ञाय) द्रव्यों के दान लेने में धर्म की विधि को बिना जाने (क्षुधा अवसीदन्+अपि) भूख से पीड़ित होता हुआ भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्) दानग्रहण न करे ॥ १८७ ॥ ॐ

अनुशीलन: दानग्रहण की धर्मविधि—इस श्लोक में प्रतिग्रहरूप

ॐ [**प्रचलित अर्थ**— द्रव्यों के दान लेने में उनकी धर्मयुक्त विधि (ग्राह्य देवता, प्रतिग्रहमन्त्र आदि) को बिना जाने भूख से पीड़ित होता हुआ भी बुद्धिमान् ब्राह्मण दान को न ले ॥ १८७ ॥]

में द्रव्यों को दान लेने की धर्मविधि क्या है, इसको समझने के लिए मनु की निम्न मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) १। ८८ में वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यक्ति को ही दान लेने का अधिकार दिया है। दान लेने के वे ही अधिकारी हैं जो इन कार्यों को धर्म मानकर निरन्तर करते हैं इस बात का निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है [२। ७६–८१ (२। १०४—१०७), २। १४०—१४३ (२। १६५—१६८); ४। १७—२०, ३१, १४७, १४६, ११। २४५॥]। इस प्रकार धर्मविधि का एक भाग यह है कि अधिकारी ही दान लें।

(२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर उसका अभ्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, अतपस्वी, स्वभाव से छली-कपटी आदि दान लेने के अनधिकारी हैं [४। ३०, १६०—१६६ आदि]। अनधिकारियों को दिया गया दान निष्फल होता है और लेने वाले पापी होते हैं।

(३) अधर्मी और वेद, यज्ञ आदि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए [२। १५८, १६० (२। १८३, १८५)।

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्य हैं। निषिद्ध अभक्ष्य मांस तामसिक आदि पदार्थ अग्राह्य हैं [५। ५—६, ४५—५१; ६। १४ आदि] और सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी अग्राह्य हैं [६।५८, ५७, ५५, २६ आदि]। इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है।

दान लेने के अनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति—

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः।
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति॥ १६०॥(६५)

एक—(अतपाः) ब्रह्मचर्य-सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा—(अनधीयानः) बिना पढ़ा हुआ—तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, ये तीनों (अश्मप्लवेन अम्भसि इव) पत्थर की नौका से समुद्र में तैरने के समान (तेन सह एव मज्जति) अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं॥ १६०॥ (स० प्र० १०५)

अनुशीलन : 'अनधीयानः' की व्याख्या के लिए देखिए ४। १६२ की समीक्षा।

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजे।
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्॥ १६२॥ (६६)

(धर्मवित्) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बैडालव्रतिके द्विजे) 'बैडालव्रतिक' [—बिल्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १९५] को

(बकव्रतिके) 'बकव्रतिक' [=बगुले जैसे स्वभाव वाला ४ । १९६] (विप्रे) ब्राह्मण को (अवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि+अपि न प्रयच्छेत्) जल भी न दे ॥ १९२ ॥

अनुशीलन : तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति—इस श्लोक में १९० में वर्णित व्यक्तियों को सादृश्यपरक दूसरी संज्ञाओं से वर्णित किया है, जैसे—अनधीयान:=अवेदवित्, अतपा:=सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी अर्थात् बकव्रतिक (ढोंगी), प्रतिग्रहरुचि: (प्रतिग्रह का लालची)=बैडालव्रतिक । आगे ४।१९५—१९६ आखिरी दो के लक्षण भी स्पष्ट कर दिये हैं। ये वेदानुसार आचरण के त्याग करने वाले हैं। इस प्रकार इस श्लोक में पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के आधार पर पर्यायवाची संज्ञाएं दी हैं।

(२) 'अनधीयान: या अवेदवित्' का यहां अर्थ अविद्वान् नहीं है, अपितु उन व्यक्तियों से अभिप्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर अध्ययन-अभ्यास, मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान् नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को सदैव वेदों का स्वाध्याय-अभ्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२ । ७९—८१ (२१ । १०४—१०७), २ । १४०—१४३ (२ । १६५—१६८), ४ । १७—२०, १४७, १४९, ११ । २४५ आदि] निरन्तर वेदाभ्यासी यजन-याजनशील, वेदाध्ययन-अध्यापन कराने वाले को ही मनु दान लेने का अधिकार देते हैं [१ । ८८, ४ । ३१]। अन्य शूद्रवत् होते हैं [२ । १४३]।

(३) ४ । ३० में भी इन व्यक्तियों और इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को भी दान-सम्मान न देने का कथन है।

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यर्जितं धनम् ।
दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ (६७)

(विधिना अर्जितं धनम् एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातु: अनर्थाय भवति) दाता का नाश इसी जन्म (च) और (आदातु: परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म में करता है ॥ १९३ ॥ (स० प्र० १०५)

यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ १९४ ॥ (६८)

(यथा उपलेन प्लवेन) जैसे पत्थर की नौका में बैठकर (उदके तरन् निमज्जति) जल में तैरने वाला डूब जाता है (तथा) वैसे (अज्ञौ दातृ-प्रति+इच्छकौ) अज्ञानी दाता और गृहीता दोनों (अधस्तात् निमज्जत:) अधोगति अर्थात् दु:ख को प्राप्त होते हैं ॥ १९४ ॥ (स० प्र० १०५)

बैडाल व्रतिक का लक्षण—

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाद्मिको लोकदम्भकः ।
बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥१९५॥ (६९)

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदालुब्धः) सर्वदा लाभ से युक्त (छाद्मिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने अपने बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरबुद्धि रखने वाला। (सर्व+अभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको (बैडालव्रतिकः ज्ञेयः) बैडालव्रतिक अर्थात् बिड़ाल के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १९५ ॥ (स० प्र० १०५)

अनुशीलन : इनका वर्णन ४। ३०, १९२ में भी द्रष्टव्य है।

बकव्रतिक का लक्षण—

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।
शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ (७०)

(अधोदृष्टिः) कीर्त्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक, किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उस का बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधनतत्परः) चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ-मूंठ ऊपर से शील, सन्तोष और साधुता दिखलावे, उस को (बकव्रतचरः द्विजः) बगुले के समान नीच समझो ॥ १९६ ॥ (स० प्र० १०६)

अनुशीलन : बकव्रतिक व्यक्तियों की चर्चा और निन्दा ४। ३०, १९२ में भी द्रष्टव्य है।

दूसरों के स्नान किये जल में न नहाये—

परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन।
निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते॥ २०१ ॥ (७१)

(परकीयनिपानेषु कदाचन न स्नायात्) दूसरों के हौज या टब में कभी न नहाये (तु) क्योंकि (स्नात्वा) वहां नहाकर (निपानकर्त्तुः दुष्कृतांशेन लिप्यते) हौज या टब वाले की गन्दगी या बीमारी से नहाने वाला लिप्त हो जाता है अर्थात् उसकी बीमारियां लग जाती हैं ॥ २०१ ॥

अनुशीलन : 'दुष्कृत' का यहाँ 'पाप' अर्थ अप्रासंगिक एवं अयुक्तियुक्त है। प्रसंगानुसार 'रोगकारक मल' अर्थ ही उचित है।

किन जलों में स्नान करे—

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ।
स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥ २०३ ॥ (७२)

(नदीषु) नदियों में (देवखातेषु) प्राकृतिक जलाशयों में (तडागेषु) तालाबों में (सरःसु) झरनों में (च) और (गर्तप्रस्रवणेषु) ऐसे गड्ढों में जिनका बहता पानी हो, बावड़ी आदि में (नित्यं स्नानं समाचरेत्) सदा स्नान करना चाहिए ॥ २०३ ॥

यम-सेवन की प्रधानता—

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥ (७३)

(यमान् सततं सेवेत) यमों का सेवन नित्य करे (नित्यं नियमान् न) केवल नियमों का नहीं, क्योंकि (यमान् अकुर्वाणः) यमों को न करता हुआ और (केवलान् नियमान् भजन्) केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी (पतति) अपने कर्त्तव्य से पतित हो जाता है, इसलिए यमसेवनपूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे ॥ २०४ ॥ (सं० वि० ८५)

अनुशीलन : (१) **यमसेवन के बिना पतन कैसे ?**—यहाँ मनु ने कहा है कि 'मनुष्य यमों का पालन न करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे तो उसके पतित होने का भय रहता है ।' क्योंकि यम मुख्यरूप से आत्मा से संबद्ध आचरण हैं, जबकि नियम प्रमुखतः बाह्याचरण हैं । केवल बाह्याचरणों के सेवन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती और न उसकी आत्मा में दृढ़ता रहती है । आत्मा से संबद्ध श्रेष्ठाचरणरूप यमों के पालन से मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बन जाता है । बाह्याचरण वाला व्यक्ति पाखण्ड भी कर सकता है जबकि आत्मिक आचरण में पाखण्ड नहीं होता । इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की संभावना बनी रहती है ।

(२) **यमों और नियमों की गणना एवं व्याख्या**—योगदर्शन २ । ३०—४५ सूत्रों में इनकी गणना की गई है । यहां यमों और नियमों का संक्षेप से उल्लेख किया जाता है—

"**अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः ।**" (योग० २।३०)

"(१) अहिंसा— अर्थात् सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम—प्रीति से वर्त्तना । (२) सत्य— अर्थात् जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और माने । (३) अस्तेय—अर्थात् पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना। इसी को चोरी त्याग कहते हैं । (४) ब्रह्मचर्य—अर्थात्

विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। (५) अपरिग्रह— अर्थात् विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना।" (ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

"**शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः** ।" (योग० २।३२)

"(१) शौच — अर्थात् पवित्रता करनी। सो भी दो प्रकार की है — एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना-पीना आदि शुद्ध करने से होती है। (२) सन्तोष—जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकातुर न होना, किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है। (३) तप — जैसे सोने को अग्नि में तपाके निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरणरूप तप से निर्मल कर देना। (४) स्वाध्याय—अर्थात् मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना, और (५) ईश्वरप्रणिधान—अर्थात् सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना।"

(ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

दानधर्म के पालन का कथन—

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम् ।
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ (७४)

द्विज (पात्रम्+आसाद्य) सुपात्र को देखकर (परितुष्टेन भावेन) सात्त्विक अर्थात् निःस्वार्थ और निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए [१२ । २७—३७] (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (नित्यम्) सदैव (ऐष्टिक-पौर्तिकम्) यज्ञों के आयोजन-सम्बन्धी और पौर्तिक=उपकारार्थ कूआ, तालाब आदि निर्माण-सम्बन्धी (दानधर्मं निषेवेत) दानधर्म का पालन करे अर्थात् दान दिया करे ॥ २२७ ॥

वेद-दान की सर्वश्रेष्ठता—

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥ (७५)

(सर्वेषाम् एव दानानाम्) संसार में जितने दान हैं अर्थात् (वारि-अन्न-गो-मही-वासः-तिल-कांचन-सर्पिषाम्) जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र,

तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से (ब्रह्मदानं विशिष्यते) वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है ॥ २३३ ॥ (स० प्र० ७६)

धर्मसंचय का विधान एवं धर्मप्रशंसा—

धर्मं शनैः संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥ (७६)

(पुत्तिका वल्मीकम्+इव) जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक वल्मीक अर्थात् बांबी को बनाती है वैसे (सर्वलोकानि+अपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (परलोक-सहायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ (शनैः धर्मं संचिनुयात्) धीरे-धीरे धर्म का संचय करे ॥ २३८ ॥

(स० प्र० १०६)

"जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारी घर को बना लेती हैं, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे-धीरे किया करे।" (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : यहाँ 'धीरे-धीरे' से अभिप्राय सावधानी पूर्वक धर्म-पालन करने से है। जैसे दीमक अपनी बांबी को बनाते हुए सावधानी बरतती है और उसे गिरने नहीं देती इसी प्रकार मनुष्य भी अपने को कभी धर्म से गिरने न दे। कहीं कोई अधर्म न हो जाये, इस बात की सावधानी रखे।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥ (७७)

(हि) क्योंकि (अमुत्र) परलोक में (न पिता-माता, न पुत्र-दारा न ज्ञातिः सहायार्थं तिष्ठतः) न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न सम्बन्धी सहाय कर सकते हैं, किन्तु (केवलः धर्मः तिष्ठति) एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २३९ ॥ (स० प्र० १०६)

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥ (७८)

(एकः जन्तुः प्रजायते एक+एव प्रलीयते) अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है (एकः सुकृतम् एकः+एव च दुष्कृतम् अनुभुङ्क्ते) एक ही धर्म के फल सुख और अधर्म के दुःखरूप फल को भोगता है ॥२४०॥

(स० प्र० १०६)

अनुशीलन : कर्मफल का भोक्ता कर्त्ता—(१) इस श्लोक में व्यक्तिगत स्तर के सुकृत, दुष्कृत करने पर कर्त्ता को ही फल का भोक्ता माना है। किन्तु

यदि उसके साथ अधर्म में और अधर्म से प्राप्त उसके भोगों, धर्मों में अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं तो उस अधर्म का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनु ने यह मान्यता अधर्म से धनसंग्रह के प्रसंग में [४। १७० में] स्पष्ट की है [४।१७३]। (द्रष्टव्य ४। १७३ पर भी इस विषयक अनुशीलन)। अभिप्राय यह है कि कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई दूसरा नहीं बांट सकता।

(२) सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में महर्षि दयानन्द ने २४० श्लोक के पश्चात् एक अन्य श्लोक भी उद्धृत किया है, जो प्रचलित पाठों में नहीं है। किन्तु महाभारत उद्योगपर्व ३३। ४७ में मिलता है।
श्लोक निम्न है—

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः।
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते॥

"यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् कुटुम्ब उसको भोक्ता है। भोगने वाले दोष-भागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०)

यहां महर्षि दयानन्द ने अपराधकर्म की दृष्टि से कर्त्ता को ही दोषी माना है। दोषभागी होने के कारण वही उस अपराध में दण्डनीय होता है। कुटुम्ब आश्रित होता है, उसे पापकर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इस प्रकार भोक्ता होते हुए भी कर्त्ता न होने के कारण कुटुम्ब उस अपराध कर्म में दोषी नहीं माना गया है। किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में वह भागी अवश्य है। [४। १७०]।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ २४१॥ (७९)

(मृतं शरीरं काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ उत्सृज्य) जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको ❋ मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर, पीठ दे (बान्धवाः विमुखाः यान्ति) बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धर्मः+तम्+अनुगच्छति) एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है॥ २४१॥ (स० प्र० १०६)

❋ (काष्ठ) लकड़ी और·········

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्॥ २४२॥ (८०)

(तस्मात्) उस हेतु से (सहायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ (नित्यं धर्मं शनैः संचिनुयात्) नित्य धर्म का संचय

धीरे-धीरे करता जाये (हि) क्योंकि (धर्मेण सहायेन) धर्म ही के सहाय से (दुस्तरं तमः तरति) बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ २४२ ॥ (स० प्र० १०७)

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्विषम् ।
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥ (८१)

(धर्मप्रधानम् पुरुषम्) किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता (तपसा हतकिल्विषम्) जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर हो गया, उस को (भास्वन्तम्) प्रकाशस्वरूप (खशरीरिणम्) और आकाश जिसका शरीरवत् है उस (परलोकम् आशु नयति) परलोक अर्थात् परम-दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त करता है ॥ २४३ ॥ (स० प्र० १०८)

उत्तमों की संगति करे—

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह ।
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४ ॥ (८२)

(कुलम्+उत्कर्षं निनीषुः) जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे (अधमान्+अधमान् त्यजेत्) वह नीच-नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़-कर (नित्यम् उत्तमैः उत्तमैः सह सम्बन्धान् आचरेत्) नित्य अच्छे-अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २४४ ॥ (सं० वि० १८१) +

अनुशीलन : यहां उत्तम का अर्थ बड़ा नहीं है अपितु श्रेष्ठ है, और अधम का 'नीच'। यह अगले अर्थवादरूप श्लोक में भी सिद्ध है।

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥ (८३)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (उत्तमान्-उत्तमान् गच्छन्) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्तियों से सम्बन्ध बढ़ाते हुए (च) और (हीनान्-हीनान् वर्जयन्) नीच-नीच व्यक्तियों से सम्बन्धों को छोड़ते हुए (श्रेष्ठताम्+एति) और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है (प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से (शूद्रताम्) वह शूद्रता को प्राप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥

अनुशीलन : २४५ में ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय—इस श्लोक में

+ [प्रचलित अर्थ—वंश को उन्नत करने की इच्छा वाला सर्वदा (अपने से) बड़ों-बड़ों के साथ सम्बन्ध करे और (अपने से) नीचों-नीचों को छोड़ दे (उन से सम्बन्ध न करे) ॥ २४४ ॥]

'ब्राह्मण' शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य वर्णों को भी श्रेष्ठता और शूद्रता प्राप्त होती है, यह अभिप्राय भी इस श्लोक में सन्निहित है। मनु की यह शैली है कि कहीं-कहीं अन्यमूर्त्यर्थ अथवा उपलक्षण रूप में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विस्तृत अर्थ के लिए करते हैं; यथा—प्राणायामों का विधान सबके लिए है, किन्तु ६ । ७० में सभी वर्णों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणरूप में प्रयोग है। इसी प्रकार ६ । ९१ में चारों आश्रमवासियों के लिए धर्म के लक्षणों का विधान करते हुए भी उसी प्रसङ्ग में ६ । ८८, ९४ श्लोकों में 'विप्र' शब्द का प्रयोग किया है, जो उपलक्षण रूप में है। २ । १५ में भी ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग है।

श्रेष्ठ स्वभाव वाला बने—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन्।
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ २४६ ॥ (८४)

(दृढकारी) सदा दृढ़कारी (मृदुः) कोमल स्वभाव (दान्तः) जितेन्द्रिय (क्रूराचारैः+असंवसन्) हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा ❁ (तथाव्रतः) धर्मात्मा (दम-दानाभ्यां स्वर्गं जयेत्) मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ २४६ ॥ (स० प्र० १०७)

❁ (अहिंस्रः) हिंसा के स्वभाव से रहित..................

झूठ बोलने वाला पापी है—

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते।
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥ (८५)

(यः) जो व्यक्ति (अन्यथा सन्तम्+आत्मानम्) स्वयं अन्यथा होते हुए अपने आपको (सत्सु) सज्जनों में (अन्यथा भाषते) अन्यथा=कुछ का कुछ बतलाता है (सः) वह (लोके) लोक में (पापकृत्तमः) अति पापी माना जाता है, क्योंकि वह (आत्मा+अपहारकः स्तेनः) अपनी आत्मा का हनन करने वाला चोर है ॥ २५५ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः।
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२५६॥ (८६)

(वाचि सर्वे अर्थाः नियताः) जिस वाणी में सब अर्थ=व्यवहार निश्चित हैं (वाङ्मूलाः) वाणी ही जिनका मूल और (वाग् विनिःसृताः) जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं (यः नरः) जो मनुष्य (तां

सर्वस्तेयकृत्) वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है, इसलिए मिथ्याभाषण को छोड़के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २५६ ॥

"परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ।"

(स० प्र० '०७)

योग्य पुत्र में गृह-कार्यों का समर्पण—

महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि ।
पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥ (८७)

(यथाविधि) उक्त विधि के अनुसार (महर्षि-पितृ-देवानाम् आनृण्यं गत्वा) व्यक्ति [ब्रह्मचर्य-पालन एवं अध्ययन-अध्यापन से] ऋषि-ऋण को [माता-पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं सन्तानोत्पत्ति से] पितृ-ऋण को [यज्ञों के अनुष्ठान से] देवऋण को चुकाकर (सर्वं पुत्रे समासज्य) घर की सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपकर [तत्पश्चात् वानप्रस्थ लेने से पूर्व जब तक घर में रहे तब तक] (माध्यस्थम्+आश्रितः) उदासीन भाव के आश्रित होकर अर्थात् सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्त भाव रखते हुए (वसेत्) घर में निवास करे ॥ २५७ ॥

अनुशीलन : महर्षि, देव, पितृ शब्दों की विस्तृत विशेष व्याख्या के ज्ञान के लिए ३ । ८२ देखिये ।

आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल—

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५८॥ (८८)

(नित्यम्) प्रतिदिन (विविक्ते) एकान्त में बैठकर (एकाकी) अकेला अर्थात् स्वयं अपनी आत्मा में (आत्मनः हितं चिन्तयेत्) अपने कल्याण की बातों का चिन्तन करे (हि) क्योंकि (एकाकी चिन्तयानः) एकाकी चिन्तन करने वाला व्यक्ति (परं श्रेयः+अधिगच्छति) अधिकाधिक कल्याण को प्राप्त करता जाता है ॥ २५८ ॥

विषय का उपसंहार—

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती ।
स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥२५९॥ (८९)

(एषा) यह (गृहस्थस्य विप्रस्य) गृहस्थ द्विज की (शाश्वती वृत्तिः) नित्य की वृत्ति या दिनचर्या (उदिता) कही (च) और (सत्त्ववृद्धिकरःशुभः) सतोगुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ (स्नातकव्रतकल्पः) स्नातक गृहस्थ के व्रतों के विधान को भी कहा ॥ २५९ ॥

अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् ।
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥ (९०)

(वेदशास्त्रवित् विप्रः) वेदशास्त्र का ज्ञाता द्विज (अनेन वृत्तेन वर्तयन्) इस जीविका या व्यवहार से वर्ताव करता हुआ (व्यपेतकल्मषः) पापरहित पुण्यजीवी होकर (नित्यं ब्रह्मलोके महीयते) सदा ब्रह्मलोक अर्थात् ब्रह्म में मग्न रहकर आनन्द को प्राप्त करता है ॥ २६० ॥

अनुशीलन : 'लोकृ दर्शने' धातु के अनुसार 'लोक' शब्द का 'दर्शन' या 'स्थान' अर्थ भी है। यहां ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मदर्शन अथवा परमात्मा में आश्रय प्राप्त करना=लीन होना है। मोक्ष में जीव परमात्मा के आश्रय में रहकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते हैं।

इति महर्षिमनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाम् अनुशीलन—समीक्षाविभूषितायाञ्च विशुद्धमनुस्मृतौ गृहस्थवृत्ति-व्रतात्मकश्चतुर्थोऽध्यायः ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म-विषय)

[भक्ष्याभक्ष्य ५ । १ से ५ । १२ तक]

द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ—

लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥ (१)

(लशुनं गृञ्जनं पलाण्डुं च कवकानि) लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता [छत्राक या कुम्हठा] (च) और (अमेध्यप्रभवाणि) अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ (द्विजातीनाम् अभक्ष्याणि) द्विजातियों के लिये अभक्ष्य हैं ॥ ५ ॥

"द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलीन, विष्ठा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल-मूलादि न खाना ।"

(स० प्र० २६५)

अनुशीलन : **गृञ्जन का अर्थ शलगम**—(१) यद्यपि 'गृञ्जन' शब्द का वर्तमान में 'गाजर' अर्थ प्रसिद्ध है, किन्तु प्राचीन काल में यह 'शलगम' के लिए प्रमुखरूप से प्रयुक्त होता था । धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि वर्ग ४ । १० में गृञ्जन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'गृञ्जन के मूल पर शिखा होती है, यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलवत् है, गांठदार मूल है । इसके अन्य नाम हैं— शिखाकन्द, कन्द, डिण्डीरमोदक । वह स्वाद में कटु, उष्ण और दुर्गन्ध युक्त है'—**गृञ्जनं शिखिमूलं च यवनेष्टं च वर्तुलम् । ग्रन्थिमूलं शिखाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम् ॥ गृञ्जनं कटुकोष्णं च दुर्गन्धं गुल्म—नाशनम् ।**" ये लक्षण वर्तमान प्रसिद्ध पीत, रक्त या कृष्णवर्ण और लम्बे आकार वाले गाजर में नहीं घटते ।

(२) **परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य होने में कारण**—इन पदार्थों को अभक्ष्य इस कारण माना गया है कि आयुर्वेद के अनुसार इनमें दुर्गुण की प्रमुखता है । ये सभी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं । लहसुन अत्यन्त राजसिक है, प्याज अत्यन्त तामसिक है, शलगम

भी राजसिक है, छत्राक को दूषित पदार्थ माना गया है। मलिन और तामसिक-राजसिक भोजन से खाने वाले का मन भी वैसा ही बनता है। अतः ये निषिद्ध हैं। [अभक्ष्य पदार्थों का विधान ६। १४ में भी द्रष्टव्य है।]

अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमैकशफं तथा।
आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ (२)

(अनिर्दशायाः गोः क्षीरम्) ब्याई हुई गौ का पहले दश दिन का दूध (औष्ट्रम्) ऊंटनी का (तथा ऐकशफम्) तथा घोड़ी आदि का (आविकम्) भेड़ का (संधिनीक्षीरम्) सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध (च) और (विवत्सायाः गोः पयः) जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को भी छोड़ देवे। ['वर्ज्यानि' क्रिया अग्रिम श्लोक में है] ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं बिना।
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥ (३)

(माहिषं बिना) भैंस के दूध को छोड़कर (सर्वेषाम् आरण्यानां मृगाणाम्) सब जंगली पशुओं का दूध (च) और (स्त्रीक्षीरम्) स्त्री का दूध (वर्ज्यानि) वर्जित हैं (च+एव) तथा (सर्वशुक्तानि) सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं ॥ ९ ॥

भक्ष्य पदार्थ—

दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम्।
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥ (४)

(शुक्तेषु) खट्टे पदार्थों में (दधि च सर्वं दधिसंभवम् भक्ष्यम्) दही और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं (च) और (यानि) जितने पदार्थ (शुभैः) हितकारी या गुणकारक (पुष्प-मूल-फलैः अभिषूयन्ते) फूल, मूल, फलों से तैयार किये जाते हैं, वे भी खाने योग्य हैं ॥ १० ॥

अनुशीलन : श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विधान ६। ७, १३ में भी द्रष्टव्य है—

यत्किंचित्स्नेहसंयुक्तं भोज्यं भोज्यमगर्हितम्।
यत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥ (५)

(अगर्हितम्) दोषरहित या अनिन्दित अर्थात् निन्दित मांस आदि भोजन [५। ४५–४९, ५१] से रहित और (यत् किंचित् भोज्य स्नेह-संयुक्तम्) जो कोई खाने की वस्तु चिकनाई अर्थात् घृत आदि से मिलाकर

बनायी गयी हो (तत् पर्युषितम्+अपि) वह बासी भी (भोज्यम्) खा लेनी चाहिए (च) तथा (यत् हविः शेषं भवेत्) जो यज्ञ की हवि से बची खाद्य-वस्तु हो वह भी (आद्यम्) खा लेनी चाहिए ॥ २४ ॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः ।
यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५ ॥ (६)

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को (यव-गोधूमजं सर्वम्) जौ और गेहूं से बने पदार्थ (च) तथा (पयसः विक्रिया एव) दूध के विकार से बने खोया, मिठाई आदि पदार्थ (अस्नेहाक्तम्) घृत आदि चिकनी वस्तु के मेल से न बने हों तो भी (चिरस्थितम्+अपि) देर से बने हुए भी (आद्यम्) खा लेने चाहिएं ॥ २५ ॥

निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक होने से पाप है—

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ (७)

(यः) जो व्यक्ति (आत्मसुख+इच्छया) अपने सुख की इच्छा से (अहिंसकानि भूतानि) कभी न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या करता है (सः) वह (जीवन् च मृतः) जीते हुए और मरकर भी (क्वचित् सुखं न एधते) कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार— ५ । २४—२५ श्लोकों में 'अगर्हितम्' पद से अनिन्द्य भोजन का विधान किया है। मांस आदि का भोजन शास्त्र एवं लोक—दोनों द्वारा निन्दित है। उन श्लोकों की प्रसंगप्राप्त्यनुसार ४५—४९, ५१ श्लोकों में इस बात का वर्णन किया है कि—'मांस एक निन्दित भोजन है, और किस प्रकार वह निन्दित है।' इस प्रकार २४–२५ श्लोकों से ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता सिद्ध होती है।

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४६ ॥ (८)

(यः) जो व्यक्ति (प्राणिनां बन्धन-वध-क्लेशान् न चिकीर्षति) प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता (सः) वह (सर्वस्य हितप्रेप्सुः) सब प्राणियों का हितैषी (अत्यन्तं सुखम्+अश्नुते) बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥

यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च ।
तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ४७ ॥ (९)

(यः) जो व्यक्ति (किंचन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वह (यत् ध्यायति) जिसका ध्यान करता है (यत् कुरुते) जिस काम को करता है (च) और (यत्र धृतिं बध्नाति) जहां धैर्ययुक्त मन को लगाता है (तत्) उसको (अयत्नेन) सुगमता से (अवाप्नोति) प्राप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥(१०)

(प्राणिनां हिंसाम् अकृत्वा क्वचित् मांसं न उत्पद्यते) प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता (च) और (प्राणिवधः) जीवों की हत्या करना (न स्वर्ग्यः) सुखदायक नहीं है (तस्मात्) इस कारण (मांसं विवर्जयेत्) मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ४८ ॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम् ।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥ (११)

(च) और (मांसस्य समुत्पत्तिम्) मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको (देहिनां वध-बन्धौ) प्राणियों की हत्या और बन्धन के कष्टों को (प्रसमीक्ष्य) देखकर (सर्वमांसस्य भक्षणात्) सब प्रकार के मांसभक्षण से (निवर्तेत) दूर रहे ॥ ४९ ॥

मांसभक्षण-प्रसंग में आठ प्रकार के पापियों की गणना—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥ (१२)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस को काटने, वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला (संस्कर्त्ता) पकाने वाला (उपहर्त्ता) परोसने वाला (च) और (खादकः) खाने वाला (इति घातकाः) ये सब हत्यारे और पापी हैं ॥ ५१ ॥

"अनुमति=मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले, आठ मनुष्य घातक=हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं" ।

(द० ल० गो० ४११)

अनुशीलन : जैसे हिंसा के पाप में आठ प्रकार के पापी होते हैं

उसी प्रकार अन्य अधर्म के कार्यों में भी ये सब पापी होते हैं, और सभी को उसका फल मिलता है। इसकी सिद्धि के लिए ४। १७३ वाँ श्लोक प्रमाणरूप में द्रष्टव्य है।

(गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि-विषय)

[५। १३ से ५। २८ तक]

देहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि-द्रव्यशुद्धिं तथैव च।
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ (१३)

(चतुर्णाम्+अपि वर्णानाम्) अब मैं चारों वर्णों की (अनुपूर्वशः) क्रमशः [पहले] (देहशुद्धिम्) शरीर और शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५—११०] (च) और [फिर] (तथा+एव) उसी प्रकार चारों वर्णों के लिए (द्रव्यशुद्धिम्) पात्र, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि [१११—१४६] को (प्रवक्ष्यामि) कहूंगा—॥ ५७ ॥ ❀

अनुशीलन : 'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक—इस श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थान पर 'देहशुद्धिम्' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्धिक्रिया एक कर्म-काण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये। इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है—

(क) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयसंकेत से करते हैं, उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टव्य ३। २८६ और ४। २५६ ॥ ८। १ और ६। २५० ॥ १०। १३१ और ११। २६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [५। ५७] और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [५। ११०]। विषय समाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय था न कि प्रेतशुद्धि का। अतः इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है।

(ख) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५। १०५], गात्र [५। १०६], शरीर [११०] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्धि-विषयक है।

(ग) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी

❀ [**प्रचलित अर्थ**—प्रचलित संस्करणों में इस श्लोक के प्रथम पाद में 'देहशुद्धिम्' के स्थान पर 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ ग्रहण करके निम्न अर्थ प्रचलित है—

"चारों वर्णों के प्रेतशुद्धि (मरणाशौच से शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तैजसादि पदार्थों की शुद्धि) को क्रम से यथावत् कहूंगा॥ ५७ ॥"]

विषय का प्रसंग मान लिया जाये तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया ? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है। शैलीशृङ्खला में जुड़ाहुआ पाठ 'देहशुद्धिम्' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। अतः इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

देह शुद्धिकारक पदार्थों की गणना—

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम्।
वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तॄणि देहिनाम्॥ १०५॥ (१४)

(ज्ञानं तपः अग्निः+आहारः मृद्मनः वारि+उपाञ्जनं वायुः कर्म अर्ककालौ) ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन=विचार, जल, लेप करना, वायु, कर्म, सूर्य और काल (देहिनां शुद्धेः कर्तॄणि) ये प्राणियों की शुद्धि करने वाले पदार्थ हैं॥ १०५॥

सर्वोत्तम शुद्धि अर्थशुचिता—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्।
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः॥ १०६॥ (१५)

(अर्थशौचं सर्वेषाम्+एव शौचानां परं स्मृतम्) जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता अर्थात् (यः+अर्थे शुचिः सः शुचिः) जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु (मृद्-वारि-शुचिः न शुचिः) जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं होती॥ १०६॥

(सं० वि० १५२)

धर्माचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि—

क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः।
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः॥ १०७॥ (१६)

(विद्वांसः क्षान्त्या) विद्वान् लोग क्षमा से (अकार्यकारिणः दानेन) दुष्टकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से (प्रच्छन्नपापा जप्येन) गुप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमाः) और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि से वेदवित् उत्तम विद्वान् (शुध्यन्ति) शुद्ध होते हैं॥ १०७॥ (सं० वि० १५२)

अनुशीलन : दान से शुद्धि—मनु ने ४। २३३ में कहा है—"**सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।**" वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन मान्यताओं की पुष्टि के लिये द्रष्टव्य है ११। २२६ और ११। २२७ श्लोक। शुद्ध होने से यहां अभिप्राय पापभावना से रहित होने से है, पापफल के क्षीण होने से नहीं। द्रष्टव्य ११। २२७ पर एतद्विषयक अनुशीलन।

शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धयति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति ॥ १०९ ॥ (१७)

(अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति) जल से शरीर के बाहर के अवयव (सत्येन मनः) सत्याचरण से मन (विद्यातपोभ्यां भूतात्मा) विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सहके धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा (ज्ञानेन बुद्धिः शुद्धयति) ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होती है ॥ १०९ ॥ (स० प्र० ३६)

"किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि-ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं" (सं० वि० १५२)

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ (१८)

(एषः) यह (शारीरस्य शौचस्य विनिर्णयः) शरीर सम्बन्धी अर्थात् शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का निर्णय (वः प्रोक्तः) तुमसे कहा, अब (नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः निर्णयं शृणुत) विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय सुनो—॥ ११० ॥

(द्रव्य-शुद्धि विषय)

[५। १९ से ५। ३३ तक]

पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च ।
भस्मनाऽद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥ (१९)

(तैजसाम्) तैजस पदार्थ अर्थात् चमकीले सोना आदि की (च) और (मणीनाम्) मणियों के पात्रों की (च) और (सर्वस्य+अश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की (शुद्धिः) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानों ने (भस्मना+अद्भिः च मृदा एव उक्ता) भस्म=राख, जल और मिट्टी से कही है ॥ १११ ॥

निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति ।
अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥ (२०)

(निर्लेपम्) जिसमें किसी चिकनाई, जूठन आदि का लेप न लगा हो ऐसा (काञ्चनम्) सोने का (भाण्डम्) पात्र, (अब्जम्) जल में उत्पन्न होने वाले मोती शंख आदि से बना पात्र (च) और (अश्ममयम्) पत्थरों के पात्र (अनुपस्कृतं राजतम्) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (अद्भिः +एव विशुद्धयति) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२ ॥

अनुशीलन : यहां 'निर्लेपम्' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पात्र से है।

ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च ।
शौचं यथार्हं कर्त्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥(२१)

(ताम्र+अयः-कांस्य-रैत्यानां त्रपुणः च सीसकस्य शौचम्) तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रांगा और सीसा, इनके बर्तनों की शुद्धि (यथार्हम्) यथाआवश्यक (क्षार+अम्ल+उदक वारिभिः) राख, खट्टा पानी और जल से (कर्त्तव्यम्) करनी चाहिए ॥ ११४ ॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् ।
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥ (२२)

(सर्वेषां द्रवाणाम्) सब घी, तैल आदि द्रव पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि उत्पवनम्) छान लेने से (च) और (संहतानां प्रोक्षणम्) ठोस वस्तु जैसे लकड़ी को चौकी आदि की पोंछने से (च) तथा (दारवाणाम् तक्षणम्) लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से (स्मृतम्) मानी है ॥ ११५ ॥

यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३)

(यज्ञकर्मणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम्) यज्ञ के पात्रों (चमसानां च ग्रहाणां शुद्धिः) चमचों और कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जनं तु प्रक्षालनेन) हाथ से रगड़कर मांजने और धोने से होती है ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : यह शुद्धि चिकनाईरहित पात्रों की कही है।

चरूणां स्रुक्स्रुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा।
स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च ॥ ११७ ॥ (२४)

[घृत आदि की चिकनाई लगे पात्रों की शुद्धि की विधि है—] (चरूणाम्) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थाली आदि (स्रुक्स्रुवाणाम्) स्रुक् और स्रुव नामक चम्मचविशेष पात्रों की (स्फ्य-शूर्प-शकटाम्) स्फ्य= तलवार की आकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूर्प=छाज, शकट= यज्ञीयपदार्थ ढोने की गाड़ी (च) और (मुसल+उलूखलस्य च) मूसल और ऊखल आदि यज्ञीय पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गर्म जल से धोने से होती है ॥ ११७ ॥

अनुशीलन : **यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण**—मनु ने यहां संकेतरूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्र ग्रन्थों में अनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णन आता है। श्लोकोक्त पात्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार है—(१) स्रुक्—यद्यपि स्रुक् और स्रुवों के अनेक प्रकार हैं, किन्तु प्रमुखतः चार स्रुक् हैं—जुहूः, उपभृत्, ध्रुवा और अग्निहोत्रहवनी। (२) स्रुव—वैकङ्कत स्रुव और खादिर स्रुव दो प्रमुख हैं। (३) स्फ्य—खदिर वृक्ष की लकड़ी का बना २२ अंगुल लम्बा खड्ग। (४) शूर्प=पदार्थों की सफाई के लिए छाज। (५) शकट=यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उलूखल—ऊखल सामान्यतः पलाश का बना होता है और नाभि तक ऊंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है। ये इच्छाप्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो सकते हैं।

अन्य प्रमुख यज्ञपात्र और यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं—(७) आज्यस्थाली, (८) पुरोडाशपात्री, (९) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) शृतावदानम्, (१२) उपवेषः, (१३) मकराकारकूर्चः, (१४) दृषत्, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्, (१७) अभ्रिः, (१८) अधरारणिः, (१९) उत्तरारणिः, (२०) चात्रम्, (२१) प्रमन्थः, (२२) नेत्रम् अथवा रज्जुः, (२३) ओविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविर्धानिपात्री, (२६) यजमान-पात्री, (२७) पत्नीपात्री, (२८) अन्तर्धानकटः, (२९) प्राशित्रहरणम्, (३०) कृष्णाजिनम्, (३१) यजमानासनम्, (३२) पत्न्यासनम्, (३३) ब्रह्मासनम्, (३४) होत्रासनम्, (३५) चमस, (३६) ग्रह, आदि-आदि।

अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि—

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् ।
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥(२५)

(बहूनां धान्यवाससां शौचम् अद्भिः प्रोक्षणम्) बहुत-से अन्नों और वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने अर्थात् डुबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु (अल्पानाम्) कुछ अन्न एवं वस्त्रों की (शौचम्) शुद्धि (अद्भिः प्रक्षालनेन विधीयते) जल से मलकर धोने से होती है ॥ ११८ ॥

चैलवच्चर्मणां शुद्धिर्वैदलानां तथैव च ।
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥ (२६)

(चर्मणां शुद्धिः चैलवत्) चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है (वैदलानां तथैव) बांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है (च) और (शाक-मूल-फलानां शुद्धिः धान्यवत् इष्यते) शाक, कन्दमूल और फलों की शुद्धि अन्नों के समान [५ । ११८] जल में धोने से होती है ॥ ११९ ॥

कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकैः ।
श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२० ॥ (२७)

(कौशेय+आविकयोः) रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि (ऊषैः) क्षारमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम्) कम्बलों की शुद्धि (अरिष्टकैः) रीठों से (अंशुपट्टानां श्रीफलैः) सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से (क्षौमाणां गौरसर्षपैः) छाल से बने वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है ॥ १२० ॥

क्षौमवच्छङ्खशृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च ।
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८)

(शंख-शृङ्गाणां अस्थि-दन्तमयस्य शुद्धिः) शंख, सींग, हड्डी, दांत, इनसे बने पदार्थों की शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान् व्यक्ति को (क्षौमवत्) छाल के वस्त्रों के समान (वा) अथवा (गोमूत्रेण+उदकेन) गोमूत्र और पानी से (कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१ ॥

प्रोक्षणात्तृणकाष्ठं च पलालं चैव शुध्यति ।
मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥ (२९)

(तृण-काष्ठं च पलालम्) घास, काष्ठ और पुआल से बना पदार्थ (प्रोक्षणात् शुद्ध्यति) जल में डुबाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वेश्म) घर

की शुद्धि (मार्जन+उपाञ्जनैः) धोने-बुहारने और लीपने से होती है (मृद्+मयं पुनः पाकेन) मिट्टी का पात्र या पदार्थ फिर आग में पकाने से शुद्ध होता है ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा ष्ठीवनैः पूयशोणितैः ।
संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥ (३०)

(मद्यैः मूत्रैः पुरीषैः ष्ठीवनैः पूयशोणितैः) शराब, मूत्र, मल, थूक, राद, खून इनसे (संस्पृष्टं मृन्मयम्) लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन (पुनः पाकेन नैव शुद्धयेत) फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥ १२४ ॥ (३१)

(संमार्जन+उपाञ्जनेन सेकेन+उल्लेखनेन च गवां परिवासेन पञ्चभिः) बुहारना, लीपना, छिड़काव करना या धोना, खुरचना और गौओं का निवास—इन पांच कामों से (भूमिः शुद्धयति) भूमि शुद्ध होती है ॥१२४॥

यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् गन्धो लेपश्च तत्कृतः ।
तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ (३२)

(यावत्) जब तक (अमेध्य+अक्तात्) अशुद्ध वस्तु से (तत्कृतः गन्धः च लेपः) उस अशुद्ध वस्तु की गन्ध और लेप [=लगा होना] (न अपैति) नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु) मिट्टी और जल से धोये जाने वाले सब पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें (तावत्) तबतक (मृद्+वारि आदेयम्) मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए ॥ १२६ ॥

एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च ।
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ॥ १४६ ॥ (३३)

(एषः) यह (सर्ववर्णानां कृत्स्नः शौचविधिः) सब वर्णों के लिए सम्पूर्ण शरीर-शुद्धि (च) और (तथा+एव) उसी प्रकार (द्रव्यशुद्धिः) पदार्थों की शुद्धि (वः उक्तः) तुम्हें कही (स्त्रीणां धर्मान् निबोधत) अब स्त्रियों के धर्मों=कर्त्तव्यों को सुनो—॥१४६ ॥

(गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय)

[५ । ३४ से ५ । ३६ तक]

अनुशीलन : मनु की स्त्री सम्बन्धी मान्यताएं—(१) मनुस्मृति के विषय

और प्रसङ्ग की शृङ्खला से आबद्ध —दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक श्लोक कह सकते हैं— श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं, अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की, स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है। यथा—

(क) पितृभिः भ्रातृभिश्चैता.........पूज्या भूषयितव्याश्च (३।५५)

(ख) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः!
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। (३।५६)

(ग) तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः। (३।५६)

(घ) संतुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥ (३।६०)

(आ) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन—

(ङ) न कश्चिद् योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्। (९।१०)

(च) अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः।
आत्मानमात्मनायास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः॥ (९।१२)

(इ) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु के स्त्री-पुरुषों को सुझाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खण्डित हो जाती है—

(छ) अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः।
एषः धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः॥ (९।१०१)

(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ।
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम्॥ (९।१०२)

(झ) प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः॥ (९।९६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाओं से विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों की अभिव्यक्तिशैली का ठीक अगले श्लोक १४९ से ही विरोध स्पष्ट दीखता है। १४९ वें श्लोक में मनु कोई आदेश

या आज्ञा नहीं थोप रहे, अपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुझाव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक में 'न इच्छेत्' अर्थात् 'स्वयं ही न चाहे' पद ध्यान देने योग्य है। 'न इच्छेत्' के कथन में और "न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं किंचित् कार्यम्" "न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्" में कितना अन्तर और विरोध है! ८।२८ से यह संकेत मिलता है कि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यताओं को भिन्न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(ई) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए—

(ञ) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए—
"स्त्रियः · पंथा देयः" [२।११२ (२।१३८)]।

(ट) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए—
"भार्यया···विवादं न समाचरेत्" [४।१८०]।

(ठ) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिएँ। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है—मातरं पितरं जायाम्······ आक्षारयन् शतं दण्डयः [८।१८०]।

स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की आशंका—

पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः।
एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले ॥ १४९ ॥ (३४)

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भर्त्रा वा सुतैः अपि) पिता, पति अथवा पुत्रों से (आत्मनः विरहं न इच्छेत्) अपना बिछोह=अलग रहने की इच्छा न करे (हि) क्योंकि (एषां विरहेण) इनसे अलग रहने से (उभे कुले गर्ह्ये कुर्यात्) यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये जिससे दोनों—पिता तथा पति के कुलों की निन्दा या बदनामी हो जाये। अभिप्राय यह है कि स्त्री को सर्वदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसको असुरक्षा की आशंका बनी रहती है॥ १४९ ॥

पत्नी में कौन से गुण होने चाहिएँ—

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ (३५)

स्त्री को योग्य है कि (सदा प्रहृष्टया) अतिप्रसन्नता से (गृहकार्येषु दक्षया) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत+उपस्करया) सब पदार्थों

के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि (च) और (व्यये अमुक्तहस्तया भाव्यम्) व्यय में अत्यन्त उदार रहे। अर्थात् सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे। जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत् रखके पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर-चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥ १५० ॥ (सं० प्र० ६६)

"स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह आदि के संस्कार और घर के मार्जनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥" (स० वि० १४८)

पति की सेवा-सुश्रूषा करे—

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमतेः पितुः ।
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥१५१॥(३६)

(पिता तु एनां यस्मै दद्यात्) पिता इस स्त्री को जिसे दे दे अर्थात् जिसके साथ विवाह करे (वा) अथवा (पितुः अनुमतेः भ्राता) पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवन्तं शुश्रूषेत) जीवित रहते उसकी सेवा करे (च) और(संस्थितं न लङ्घयेत्) पति रूप में साथ स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न करे। अन्यार्थ में—मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे।❀ १५१ ॥

अनुशीलन : 'संस्थित' शब्द का विवेचन—'सम्' पूर्वक 'स्था' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से संस्थित शब्द बनता है। अन्य टीकाकारों ने इसका 'मरने पर' अर्थ किया है किन्तु वह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि—(१) यहां जीवित अवस्था में साथ-साथ रहते हुए स्त्री के कर्त्तव्यों के विधान का प्रसंग है। [५। १४६]। इस श्लोक में भी जीवित अवस्था का ही प्रसंग है। (२) और पति के मरने पर आवश्यकता पड़ने पर मनु ने नियोग का विधान किया है [९। ५९–६३]। (३) ९।७६, ८१ श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेशवास में अधिक समय बीतने पर जीते जी स्त्री-पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि 'पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पति-

❀ [प्रचलित अर्थ—पिता या पिता की अनुमति से भाई इस (स्त्री को) जिसके लिए दे अर्थात् जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हुए उस (पति) की सेवा करे, उसके मरने पर (भी व्यभिचार, उसके श्राद्ध आदि का त्याग तथा पारलौकिक कार्यों के [illegible]) [illegible] न करे ॥ १५१ ॥]

व्रत धर्म का उल्लंघन न करें' यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किन्तु इसको नियोग या पुनर्विवाह के साथ लागू नहीं करना चाहिये ।

स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व—

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः ।
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥ (३७)

(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्त्ययनं च प्रजापतेः यज्ञः) जो स्वस्ति-पाठ [=शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] और प्रजापति-यज्ञ किया जाता है वह (आसां मङ्गलार्थं प्रयुज्यते) इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है (प्रदानं स्वाम्यकारणम्) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप देना ही इन पर पति का अधिकार होने का कारण है अर्थात् जो विवाह संस्कारपूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है। इस दान के पश्चात् ही उन पर पति का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं ॥ १५२ ॥

पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा—

पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते ।
निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥ (३८)

[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में] किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर (या स्वम् अपकृष्टं पतिं हित्वा उत्कृष्टं पतिं निषेवते) जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती है (सा) वह (लोके निन्द्या+एव भवेत्) लोगों में निन्दा प्राप्त करती है (च) और (परपूर्वा+इति उच्यते) 'पहले यह दूसरे की पत्नी थी' यह उसके विषय में व्यंग्य किया जाता है ॥ १६३ ॥

पति के अनुकूल आचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है—

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥(३९)

(या) जो स्त्री (मनः-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिं न+अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम्+आप्नोति) पतिलोक अर्थात् पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सद्भिः 'साध्वी'+इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको पतिव्रता या अच्छी पत्नी कहकर प्रशंसा करते

है ॥ १६५ ॥ ❀

अनुशीलन : **'लोक' शब्द का विवेचन**—'लोकम्' शब्द 'लोकृ दर्शने' धातु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका अर्थ 'दृष्टि', 'दर्शन' 'स्थान' भी है। यहां **'भर्तृ-लोकम् आप्नोति'** मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है – 'पतिव्रता स्त्री पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की दृष्टि में प्रिय, आदरणीय बन जाती है। यहां परलोक आदि का कोई प्रसंग नहीं है।

स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्निसंस्कार—

एवंवृत्तां सवर्णां स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् ।
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥ (४०)

(एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्) इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्) यदि वह पति से पहले ही मर जाये तो (धर्मवित्) धर्म का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञपात्रैः) यज्ञपात्रों का प्रयोग करके (अग्निहोत्रेण दाहयेत्) अग्निहोत्र विधि से उसका दाहसंस्कार करे ॥ १६७ ॥

अनुशीलन : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ५।११७ की समीक्षा में देखिए।

उपसंहार—

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥ (४१)

(अनेन विधिना) इस [४।१ से ५।१६८ तक] पूर्वोक्त विधि से रहते हुए (पञ्चयज्ञान् न हापयेत्) पंचयज्ञों को कभी न छोड़े और (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग तक (कृतदारः) विवाह करके अर्थात् विवाहोपरान्त स्त्री-सहित (गृहे वसेत्) घर में निवास करे ॥ १६९ ॥

❀ **प्रचलित अर्थ**—मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री पति के विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार आदि) नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राप्त करती है तथा उसे सज्जन 'पतिव्रता' कहते हैं ॥ १६५ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्य-समन्वितायाम्, 'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च विशुद्धमनुस्मृतौ गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धिद्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्मविषयात्मकः पञ्चमोऽध्यायः ॥